लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ३०—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ५१—बुधवार, १५ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०४७	संघ लोक सेवा आयोग को पदों के भरे जाने से सम्बन्धित मामलों का देर से भेजा जाना . .	३८७१—७३
१०४८	दिल्ली के गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापक .	३८७३—७५
१०५०	रूसी वैज्ञानिकों का दौरा . .	३८७५—७७
१०५१	उपमंत्री द्वारा सम्पत्ति का अर्जन . . .	३८७७—८२
१०५२	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	३८८२—८५
१०५४	वैज्ञानिक अनुसन्धान	३८८६—८९
१०५५	राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा	३८८९—९३
१०५६	दिल्ली का राजनैतिक ढांचा	३८९३—९४
१०५७	रामगढ़ सीमा के निकट पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी .	३८९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४९	भारत में विदेशी भाषाओं का अध्ययन . . .	३८९५
१०५३	हिन्दी का प्रचार	३८९५
१०५८	लखनऊ में अवैध शस्त्र बनाने का कारखाना . .	३८९५—९६
१०५९	पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें	३८९६—९७
१०६०	शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन	३८९७—९८
१०६१	विश्वविद्यालयों में "रीडिंग सीट" . . .	३८९८
१०६२	लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां	३८९८
१०६३	राष्ट्रीय वैधशालाओं में अनुसन्धान . . .	३८९८—९९
१०६४	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई . . .	३८९९
१०६५	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्बन्ध में पुस्तकें .	३८९९—३९००
१०६६	प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आइ० सी० एस० अफसर .	३९००
१०६७	अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखक . .	३९००

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXX—Seventh Session, 1964]

No. 51.—*Wednesday, April* 15, 1964/*Chaitra* 26, 1886 (Saka]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	Subject	PAGE
1047	Delayed References to U.P.S.C.	3871—73
1048	Private School Teachers of Delhi	3873—75
1050	Visit of Soviet Scientists . . .	3875—77
1051	Acquisition of Property by Deputy Minister	3877—82
1052	Central Vigilance Commissioner	3882—85
1054	Scientific Research . . .	3886—89
1055	Security of National Plants .	3889—93
1056	Political Set-up of Delhi	3893-94
1057	Arrest of Pak. Spies near Ramgarh Border	3894

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1049	Study of Foreign Languages in India	3895
1053	Propagation of Hindi . .	3895
1058	Illegal Arms Factory at Lucknow	3895-96
1059	Pakistani Text-Books . . .	3896-97
1060	Reorganisation of Ministry of Education	3897-98
1061	Reading Seats in Universities . .	3898
1062	Appointments to Public Service Commissions	3898
1063	Research in National Laboratories .	3898-99
1064	Indian Institute of Technology, Bombay .	3899
1065	Books on Fighters of Freedom Struggle	3899-3900
1066	I.C.S. Officers on Deputation . . .	3900
1067	Hindi writers of Non-Hindi-speaking Areas . .	3900

*The sign + marked above the name of a Member Indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर --जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१६२	विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान पर किया गया व्यय	३९००--०१
२१६३	संविधान निर्माण सम्बन्धी पत्र	३९०१
२१६४	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भर्ती	३९०१--०२
२१६५	उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता	३९०२
२१६६	उड़ीसा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा	३९०२
२१६७	विशेष पुलिस विभाग	३९०२--०३
२१६८	उड़ीसा में पोलीटेक्निक्स	३९०३
२१६९	प्रतापगढ़ में कैम्पस वर्क्स प्राजेक्ट्स	३९०३--०४
२१७०	ताज महल	३९०४
२१७१	दिल्ली में बच्चों का उठाया जाना	३९०४
२१७२	मिदनापुर जिले की जनसंख्या	३९०४--०५
२१७३	चिकित्सा सम्बन्धी और सुरभियुक्त पौधों का सर्वेक्षण	३९०५
२१७५	मेधावी बालक	३९०५
२१७६	केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड	३९०६
२१७७	प्रत्युपकुलपति	३९०६--०७
२१७८	प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा	३९०७
२१७९	ऋषिकेश में प्राप्त पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुएं	३९०७
२१८०	राज्य सरकारों द्वारा अध्यापकों को पुरस्कार	३९०७--०८
२१८१	राजघाट के पुराने किले पर खुदाई	३९०८
२१८२	तेल निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण	३९०८--०९
२१८३	कोयली तेल शोधन कारखाना	३९०९
२१८४	पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण	३९०९
२१८५	रूसी अध्ययन संस्था	३९०९--१०
२१८६	नेत्रहीनों के लिये उपकरण	३९१०
२१८७	संसद् सदस्यों के मकानों में चोरियां	३९१०--११
२१८८	दिल्ली की पुलिस के कर्मचारी	३९११
२१८९	पंजाब के आपराधिक मामले	३९११
२१९०	असिस्टेंटों को स्थायी बनाना	३९११
२१९१	सेना के बमों की कथित बिक्री	३९११--१२
२१९२	निरक्षरता--उन्मूलन	२९१२
२१९३	वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये पारितोषिक	३९१२--१३
२१९४	उड़ीसा में युवक छात्रावास	३९१३
२१९५	उड़ीसा को संगीत नाटक अकादमी की सहायता	३९१३
२१९६	असैनिक प्रतिरक्षा संगठन	३९१३--१४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
2162	Expenditure incurred on Research in Universities	3900-01
2163	Papers connected with framing of Constitution	3901
2164	Recruitment in Central Government Offices	3901–02
2165	Aid to Utkal University	3902
2166	Primary and Secondary Education in Orissa	3902
2167	Special Police Establishment	3902–03
2168	Polytechnics in Orissa	3903
2169	Campus Works Projects in Partapgarh	3903–04
2170	Taj Mahal	3904
2171	Child Lifting in Delhi	3904
2172	Population of Midnapur Distt.	3904–05
2173	Survey of Medicinal and aromatic Plants	3905
2175	Gifted Children	3905
2176	Central Advisory Board for Primary Education	3906
2177	Pro-Vice-Chancellors	3906–07
2178	Education of Adult Women	3907
2179	Archaeological Finds in Rishikesh	3907
2180	Awards to Teachers by State Governments	3907–08
2181	Excavations at Old Fort of Rajghat	3908
2182	Survey for Oil Deposits	3908–09
2183	Koyali Refinery	3909
2184	Training in Petroleum Technology	3909
2185	Institute of Russian Studies	3909–10
2186	Appliances for the Blind	3910
2187	Thefts in M. P's. Houses	3910–11
2188	Delhi Police Personnel	3911
2189	Criminal Cases of Punjab	3911
2190	Confirmation of Assistants	3911
2191	Alleged Sale of Army Bombs	3911–12
2192	Abolition of Illiteracy	3912
2193	Awards for Scientific Research	3912–13
2194	Youth Hostels in Orissa	3913
2195	Sangeet Natak Akadmemi Adi to Orissa	3913
2196	Civil Defence Organisation	3913–14

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१९७	लम्बित मामले	३९१४
२१९८	उद्योगों को राज सहायता	३९१४
२१९९	हिन्दी निदेशालय	३९१४
२२००	राजस्थानी साहित्य और संस्कृति	३९१५
२२०१	हिन्दी फार्म	३९१५–१६
२२०२	खेलकूद प्रशिक्षण शिविर	३९१६
२२०३	पिछड़े वर्ग आयोग	३९१६
२२०४	योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां	३९१७
२२०५	दक्षिण अन्दमान में हायर सेकेंडरी स्कल	३९१७
२२०७	इलाहाबाद में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	३९१७–१८
२२०८	श्री डांगे द्वारा लिखे गये कथित पत्र	३९१८
२२०९	अन्दमान श्रमिक बल	३९१८–१९
२२१०	पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास	३९१९–२०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों का नागालैंड में कथित प्रवेश	३९२०--२२
श्री स० मो० बनर्जी	३९२०
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	३९२०--२२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३९२२
सदस्य के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार सम्बंधी जांच के बारे में पत्र	३९२३
सभा पटल पर रखे गये	
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	३९२३
सरकारी आश्वासनों सम्बंधी समिति	
कार्यवाही-सारांश	३९२४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	३९२४
प्राक्कलन समिति	
पचपनवां प्रतिवेदन	३९२४
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६१–६२	३९२४

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
2197	Pending Cases	3914
2198	Subsidy to Industries	3914
2199	Hindi Directorate	3914
2200	Rajasthani Literature and Culture	3915
2201	Hindi Forms	3915–16
2202	Sports Coaching Camps	3916
2203	Backward Classes Commission	3916
2204	Merit-cum-Means Scholarships	3917
2205	Higher Secondary Schools in South Andamans	3917
2207	Allahabad Pre-Examination Coaching Centre	3917–18
2208	Letters allegedly written by Shri Dange	3918
2209	Andaman Labour Force	3918–19
2210	History of Freedom Movement in West Bengal	3919–20
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported entry of Naga hostiles into Nagaland	3920—22
	Shri S. M. Bannerjee	3920
	Shrimati Lakshmi Menon	3920—22
	Papers laid on the Table	3922
	Papers re : enquiry into alleged ill-treatment of Member	3923
	Laid on the Table	
	Re : Calling Attention Notice (Query)	3923
	Committee on Government Assurances Minutes	3924
	Committee on Private Members Bills and Resolutions Forty-first Report	3924
	Estimates Committee	
	Fifty-fifth Report	3924
	Demands for Excess Grants (General), 1961-62	3924

विषय	पृष्ठ
समितियों के लिये निर्वाचन	
१. भारतीय खान स्कूल की शासी परिषद् . . .	३९२४—२५
२. केन्द्रीय मानव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . .	३९२५
अनुदानों की मांगें	३९२५—५५
गृह-कार्य मंत्रालय	३९२५—५५
श्री कृपालानी	३९२५—२७
श्री रिशांग किशिंग	३९२७—२८
श्री हाथी	३९२८—३४
श्रीसेझियान	३९३५—३८
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	३९३८—४०
श्री भागवत झा आजाद	३९४१—४२
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	३९४२—४४
श्री वासुदेवन नायर	३९४४
श्री बासप्पा	३९४५—४६
श्री सू० ला० वर्मा	३९४६
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	३९४६—४७
श्री श्यामलाल सर्राफ	३९४७
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	३९४८
श्री कोया	३९४८
श्री शिकरे	३९४८—४९
श्री प० ना० कयाल	३९४९
श्री नन्दा	३९४९—५५

Subject	PAGE
Election to Committees—	
1. Governing General of Indian School of Mines . .	3924-25
2. Central Advisory Board of Anthropology . . .	3925
Demands for Grants	3925—55
Ministry of Home Affairs	3925—55
Shri J. B. Kripalani	3925—27
Shri Rishang Keishing	3927-28
Shri Hathi	3928—34
Shri Sezhian	3935—38
Shri Prakash Vir Shastri	3938—40
Shri Bhagwat Jha Azad	3941-42
Shri J. P. Jyotishi	3942-44
Shri Vasudevan Nair	3944
Shri Basappa	3945-46
Shri S. L. Verma	3946
Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	3946-47
Shri Sham Lal Saraf	3947
Shrimati Ramdulari Sinha	3948
Shri Koya	3948
Shri Shinkre	3948-49
Shri P. N. Kayal	3949
Shri Nanda	3949—55

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

—

१५ अप्रैल, १९६४ । २६ चैत्र, १८८६(शक) का शुद्धि-पत्र

—

पृष्ठ संख्या ३८८५, ऊपर से तीसरी पंक्ति "Shri J.S.Chaudhary" के स्थान पर "Shri Y.S. Chaudhary" पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या ३८९४, तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, शीर्षक में "Ramgar Bohrder" के स्थान पर "Ramgarh Border" पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या ३८९७, तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, सदस्या का नाम 'श्रीमती राम दुलारी सिन्हा' के स्थान पर 'श्रीमती राम दुलारी सिन्हा' पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या ३९०१, ऊपर से प्रथम पंक्ति, '(एक)' के स्थान पर '(ख)' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, १५ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र, १८८६ (शक)

Wednesday, April 15, 1964/Chaitra 26, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संघ लोक सेवा आयोग को पदों के भरे जाने से सम्बन्धित मामलों का देर से भेजा जाना

\+

*१०४७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में लिखा है कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना मंत्रालयों द्वारा भरे जाने वाले पदों से सम्बन्धित मामले उसे देर से भेजती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ऐसे बहुत से मामलों की ओर ध्यान दिलाया है जिनमें आयोग से परामर्श लेने में बिलम्ब हुआ था ।

(ख) सरकार के मंत्रालयों और विभागों से यह प्रार्थना की गई है कि व प्रभावकारी तथा पर्याप्त कार्यवाही करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाये वे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना ही जो नियुक्तियां करें उनकी सूचना तुरन्त ही आयोग को दे दी जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of Ministers' relatives among the appointees in whose case delayed references were made to Union Public Service Commission ?

Shri Hathi : Probably none.

Shri Yashpal Singh : In how many cases Union Public Service Commission have raised objections ?

Shri Hathi : There are none such cases; everything regarding these is contained in the report of the Union Public Service Commission.

श्री दे० जी० नायक : क्या स्थायी मीट्रिक समिति के एक कार्यालय सचिव के मामले में जिसकी नियुक्ति १९५६ में की गई थी, १९६२ में अर्थात् ६ वर्ष पश्चात् आयोग को इसकी सूचना दी गई थी ? आयोग को इतने विलम्ब से लिखने के क्या कारण थे ?

श्री हाथी : इसका कारण यह था कि वह अधिकारी पहिले प्रथम श्रेणी के पद पर आसीन था और उसे फिर भी प्रथम श्रेणी के पद पर ही नियुक्त किया गया था । मंत्रालय ने यह सोचा कि यह तो केवल एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानान्तरण का मामला है, कोई नई नियुक्ति का मामला नहीं, और इसलिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

श्री बासप्पा : क्या आयोग को इन देर से भेजे जाने वाले मामलों में अनियमित नियुक्तियों के मामले भी सम्मिलित हैं और यदि हां, तो कितने ?

श्री हाथी : जी नहीं, इनमें अनियमित नियुक्तियों के कोई मामले नहीं हैं । मैं सदन को यह भी सूचित कर दूं कि लगभग १२,००० मामलों में केवल एक ही अनियमित नियुक्ति का मामला हुआ है । शेष सब मामलों में विलम्ब हुआ है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : संघ लोक सेवा आयोग ने संसद् को प्रस्तुत किये गये अपने प्रत्येक वर्ष के प्रतिवेदनों में यह शिकायत दुहराई है । क्या आज तक किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : विलम्ब के मामलों की सूचना दी जाती रही है । ऐसे मामलों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : कई मामलों में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । जिन मामलों में वे लोग उचित अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं उनमें कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रतिवेदन को और इससे कई वर्षों पहले के प्रतिवेदनों को भी देखते हुए, क्या यह सच नहीं है कि यह आदत अथवा प्रथा यदि चिरस्थायी नहीं तो एक वार्षिक समस्या अवश्य होती जा रही है, और यदि हां, तो क्या इसका कारण किसी अधिकारी के व्यवहार की अपेक्षा सरकार अथवा मंत्रालय की उदासीनता, घमण्डीपन अथवा ढिठाई नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री हाथी : मैं ठीक ठीक तो यह नहीं बता सकता कि इसका क्या कारण है । हम स्पष्टीकरण मांगते हैं तथा हम इस मामले को बड़ी गम्भीरता से देख रहे हैं । मंत्रालयों को लिखें

गये हमारे नवीनतम पत्र में यह कहा गया हैं :—

"यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में ऐसी सभी अनियमितताओं की उचित रूप से जांच की जानी चाहिये और गलती का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये जिससे कि इन सांविधिक उपबन्धों की अवहेलना करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।"

Private School Teachers of Delhi

*1048. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(*a*) whether any delegation of the teachers of private schools of Delhi had met him in regard to their demand for grant of pensionary or gratuity benefits ;

(*b*) if so, the reaction of Government in this regard ; and

(*c*) whether his Ministry propose to advise the State Governments also in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :—(*a*) Yes, Sir.

(*b*) The matter is under consideration of the Government.

(*c*) The State Governments also have been advised to introduce the Triple Benefit Scheme.

Shri Prakash Vir Shastri : Govt. of India gives 95% grants to private schools in Delhi and they of their own have to incur only 5% of the expenditure. While Government are so liberal in giving grants to them, may I know what hinderances stand in the way of the Government because of which they have not so far been able to take any decision regarding payment of pension and gratuity to the teachers of private schools ?

Shri M. C. Chagla : As far as Delhi is concerned, I am considering to introduce a legislation here. For other States we are prepared to provide assistance upto 50% , but unless they accept this scheme we are unable to do anything. Only four States, namely, Madras Andhra Pradesh, Mysore and Kerala, have given their acceptance, for the scheme the remaining States have not accepted it so far.

Shri Prakash Vir Shastri : Extending my welcome to the assruance given by the hon. Minister about his proposed measure pertaining to the private schools in Delhi, may I know whether he would issue instructions to the States, besides the four States which have already accepted the scheme, that they should also provide for pension, gratuity etc. to the teachers of private schools similar to those in Government schools ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, हम राज्य सरकारों को यह सलाह देते रहे हैं और केवल यह सलाह ही नहीं अपितु हमने उनसे यह भी कहा है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें ५० प्रतिशत व्यय देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि केवल दिल्ली में ही नहीं परन्तु प्रत्येक स्थान पर सभी राज्यों में, गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को इतना भी महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता जितना कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को दिया जाता है ।

इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उन्हें भी उतना ही महंगाई भत्ता मिले ? यदि वेतनों में अन्तर है तो कम से कम महंगाई भत्ता तो सभी राज्यों और दिल्ली में समान ही होना चाहिये ।

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की दशा शोचनीय है । समय समय पर हम राज्य सरकारों का ध्यान इस बात की ओर दिलाते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में कुछ करना चाहिये । हमने उनसे कहा है कि हम उन्हें अनुदान देंगे । परन्तु आखिरकार यह राज्य सूची का एक विषय है और हम इस मामले में राज्य सरकारों पर जोर नहीं डाल सकते । हम केवल निदेश जारी कर सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकते हैं ।

Shri Y. S. Chaudhry : May I know whether the Education Ministry has undertaken a study into the similarities and disparities in grant of pension and gratuity to the teachers in different States ?

श्री मु० क० चागला : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या विभिन्न राज्यों के विभिन्न गैर सरकारी स्कूलों के लिए एक ऐसी समान पद्धति बनाने का सरकार का विचार है जिससे कि अध्यापक उस धनराशि को निकाल सकें जो कि उनके खातों में जमा हो जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : हमें ऐसा विधान बनाने का अधिकार नहीं है । हम केवल दिल्ली के बारे में ही विधान बना सकते हैं, जिसे कि आगामी सत्र में लाने का मेरा विचार है । राज्यों के बारे में विधान बनाने का अधिकार उन्हीं को है । शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Will this rule regarding payment of pension and gratuity to teachers after their retirement be also made applicable to night and day schools run in Gram Panchayats on behalf of the Government ?

Shri M. C. Chagla : It is for State Governments to do so. If they will provide funds, Gram Panchayats will implement it.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : क्या माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की दयनीय स्थिति से अवगत हैं जहां कि अध्यापकों को छः महीने से उनका वेतन नहीं मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अलग अलग राज्यों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री मु० क० चागला : उत्तर प्रदेश ही केवल एक राज्य नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : वह प्रमुख राज्य है ।

श्री कपूर सिंह : क्या गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पेंशन और उपदान लाभों के उपलब्ध न होने का कारण केवल धन की कमी ही है अथवा इसके अन्य भी कुछ कारण हैं और यदि अन्य कारण भी हैं तो, वे क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : आमतौर पर धनाभाव ही इसका कारण है । जब हमने राज्य सरकारों को ५०प्रतिशत सहायता देने को कहा है तो वे कहते हैं कि वे शेष ५० प्रतिशत व्यय को भी वहन नहीं कर सकते ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं माननीय मंत्री की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : वह क्या पूछना चाहते हैं ? यह कोई सहमति का प्रश्न तो नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं यह जान सकती हूं कि उन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जिनका कि सीधा उत्तरदायित्व माननीय मंत्री पर ही है, उन पढ़ाई की दुकानों के विरुद्ध माननीय मंत्री ने क्या कार्यवाही की है जिनमें कि केवल अध्यापकों का ही शोषण नहीं किया जाता वरन अन्य लोगों का भी शोषण किया जाता है ? यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैकि उन अध्यापकों को उनके वेतन नियमित रूप से और ठीक ढंग से मिलें ?

श्री मु० क० चागला : यदि माननीय सदस्य दिल्ली के किसी ऐसे स्कूल की ओर मेरा ध्यान दिलायें जहां कि ये सब बातें की जाती हैं तो मैं उस मामले में कड़ी कार्यवाही करूंगा ।

रूसी वैज्ञानिकों का दौरा

+

*१०५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत संघ के छः सुविख्यात वैज्ञानिक भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा कर रहे हैं ।

(ख) दौरा करने वाले विद्वानों की प्रतिभा से लाभ उठाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) क्या इन रूसी वैज्ञानिकों के भारत में ठहरने के समय और रूस में भी उनके साथ कार्य करने का अवसर भारतीय विद्वानों को मिलेगा; और

(घ) जिन विश्वविद्यालयों में इन विद्वानों द्वारा उच्च अनुसन्धान कार्य किये जाने की सम्भावना है क्या उन विश्वविद्यालयों को विशेष वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । इन छः वैज्ञानिकों में से चार अपना कार्य समाप्त करके रूस को वापस चले गये हैं, एक अभी भी भारत में है और छठा सितम्बर में यहां पहुंचेगा ।

(ख) शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यवाहियों में भाग लेना, विशेष भाषण देना तथा अनुसन्धानकर्ताओं के साथ चर्चायें करना, गोष्ठियों और अध्ययनगोष्ठियों का आयोजन करना और विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं के दौरे करना ।

(ग) और (घ) जी, हां ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या रूसी वैज्ञानिक उपकरण के दिये जाने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री मु० क० चागला : इस विशेष योजना का रूसी उपकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न ज्यादा तो रूसी वैज्ञानिकों के यहां आने और विभिन्न अध्ययन केन्द्रों का दौरा करने प्राफेसरों और विद्यार्थियों से मिलने और हमें इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए सलाह देने का है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री इन सुविधाओं को कुछ समय तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गये हैं और क्या उन्होंने रूसी वैज्ञानिकों की सलाह को अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध भी करा दिया है ?

श्री मु० क० चागला : अध्ययन केन्द्रों का दौरा करने वाले इन रूसी वैज्ञानिकों का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो गया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है "जी हां"। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों और रूसी वैज्ञानिकों के बीच किस प्रकार सहयोग स्थापित किया जायेगा, क्या हमारे वैज्ञानिकों को वहां पर भेजा जायेगा अथवा यह अन्य किसी रूप में होगा ?

श्री मु० क० चागला : सोवियत संघ के साथ हमने कई योजनायें बनाई हैं जिनके अधीन हमारे विद्वान वहां पर जायेंगे और अध्ययन करेंगे तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : उन्हें विज्ञान के किन किन विशेष विषयों पर अध्ययन करने के लिये कहा गया था ?

श्री मु० क० चागला : जो पांच रूसी वैज्ञानिक यहां पर आये थे वे दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग और मद्रास विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के साथ सम्बद्ध थे। छठा वैज्ञानिक कलकत्ता विश्वविद्यालय के व्यावहारिक गणित विभाग के साथ सम्बद्ध होगा । वह अभी तक भारत नहीं पहुंचा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : For how long these Russian scientists will be staying and touring in India and how many scholars would be benefited by it ?

Mr. Speaker : Some of them arrived here and have already returned to U.S.S.R and now only one remains to arrive here.

Shri Onkar Lal Berwa : Those who have returned stayed for how many days and how many scholars were benefited by their stay here ?

Shri M. C. Chagla : India will greatly benefit by the visit of these scientists. Five scientists stayed here for three months and then returned to U.S.S..R The sixth scientist has not yet arrived.

श्री रामचन्द्र उलाका : इस मद पर भारत सरकार का कितना रुपया व्यय करने का प्रस्ताव था और वास्तव में अब कुल तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री मु० क० चागला : यूनेस्को के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी और मैं समझता हूं कि इस काम में अधिक रुपया व्यय नहीं किया गया है।

उपमंत्री द्वारा सम्पत्ति का अर्जन

+

*१०५१. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों मे प्रकाशित कुछ ऐसे समाचारों की ओर गया है जिनमें यह कहा गया है कि मंत्रि-पद परिषद् के एक सदस्य (वित्त मंत्रालय में उपमंत्री) ने कुछ सम्पत्ति अर्जित कर ली है और यह आरोप भी लगाया गया है कि इस संबंध में भ्रष्टाचार बरता गया है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच-पड़ताल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) . वित्त मंत्रालय में उपमंत्री के संबंध में समाचारपत्रों में जो कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे उनकी ओर सरकार का ध्यान गया था और समाचारों में उल्लिखित मामलों के संबंध में उनकी टीका-टिप्पणी प्राप्त कर ली गयी थी। संबंधित कागजात अब महान्यायवादी को भेज दिये गये हैं और उनसे यह सलाह मांगी गई है कि क्या प्रथम दृष्टया यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि पहले पहल इन आरोपों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया था क्योंकि ये एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित हुए जो कि हालांकि प्रधान मंत्री की प्रशंसक तो है परन्तु सत्यवादिता के लिये उसकी ख्याति स्पृहणीय नहीं है, और यदि हां, तो, ऐसे क्या दबाव पड़े थे जिनसे बाध्य होकर अथवा मजबर होकर जांच के लिये कार्यवाही करनी पड़ी। और क्या यह जांच विशेष पुलिस संस्थान द्वारा अथवा प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं गृह-कार्य मंत्री द्वारा की गई थी ? महान्यायवादी कों कागजात भेजने से पहले क्या कोई जांच की गई है और किसने वह जांच की है ?

अध्यक्ष महोदय : मानीय मंत्री ने बताया है कि सरकार ने कानूनी सलाह मांगी है और उसके मिलने के पश्चात वह इस बात का निर्णय करेंगे कि इस मामले में जांच की जानी चाहिये अथवा नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह था कि क्या महान्यायवादी को कागजात भेजने से पहले कोई प्रारम्भिक जांच की गई थी ? क्या स्वयं अपनी किसी निजी संस्था के द्वारा अथवा विशेष पुलिस द्वारा संस्थान के द्वारा अथवा अन्म किसी साधन से कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक जांच कराई गई है ?

श्री हाथी : जांच करने के लिये कोई दबाब या ऐसी कोई चीज नहीं थी। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अनेक साधनों के द्वारा जांच की थी।

621 (ai) LSD—2.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये अरोपों की जांच करने के लिये संथानम समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार करने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

श्री हाथी : संथानम समिति के प्रतिवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या समिति ने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया है उसे अपनाया जाना चाहिये अथवा नहीं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैंने अभी यह बताया है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने उन साधनों के द्वारा जांच की थी जिन्हें कि उन्होंने उचित समझा था।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उत्तर के अन्तिम कुछ शब्द नहीं समझ सका। माननीय मंत्री ने 'साधनों' के बारे में कुछ कहा था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कागजातों को महान्यायवादी को भेजने और उनकी सलाह लेने का निर्णय किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने कहा है कि गृह- कार्य मंत्री ने कुछ साधनों के द्वारा जांच की थी। मैं उत्तर का बिल्कुल अन्तिम भाग नहीं समझ सका। माननीय मंत्री अपने उत्तर के बिल्कुल अन्तिम भाग को कृपा करके दुहरा दें।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के बिल्कुल अन्तिम भाग में क्या कहा गया था ? माननीय सदस्य उसे सुनना चाहते हैं।

श्री हाथी : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जिन साधनों को उचित समझा उनके माध्यम से जांच की थी।

अध्यक्ष महोदय : विश्राम प्रसाद :

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह कोई गुप्त बात है ? वे साधन क्या थे ? क्या वे गुप्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं श्री विश्राम प्रशाद को पुकार चुका हूं।

Shri Vishram Prasad : The first thing is that we gave a notice of this question before the Session started on 10th of February and it has been admitted now after two months ....

Mr. Speaker : You can enquire from me regarding this.

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has stated that this case has been referred to the Attorney-General. When the eqnuiry report of such a serious case will be submitted to the House ?

Shri Hathi : Action will be taken after an advice is given by the Attorney general.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it not a fact that the newspaper in which this report has appeared has been giving such reports even prior to this ocasion and a news-item was also published in the same newspaper regarding *Havan* etc. involving Prime Minister about which Prime Minister also game....

Mr. Speaker: It does not relate to this question.

Shri Prakash Vir Shastri: In the same newspaper a.. .. ..

Mr. Speaker: This question does not relate to newspapers.

Shri Prakash Vir Shastri: What are the views of the Government of India and our Hon. Prime Minister regarding that newspaper?

Mr. Speaker: You can only ask for information, not the views.

Shri Prakash Vir Shastri: Have the Government of India tried to take any hind of information from the newspaper which published this report and, if so,what is the opinion of the Government regarding that newspapers?

Shri Hathi: There is no reason to accept it that all the news-items appearing in the newspapers are correct. But since a deputy Minister was involved in this case, it was deemed fit to have an enquiry made and state the correct position in the House and for the information of the public. An enquiry was, therefore, held.

Shri Prakash Vir Shastri: On a point of order, Sir. If any newspaper publishes any false reports regarding any such person, then will some action be taken by Government against it.. .. .. .. (*interruptions*)

Mr. Speaker: It is merely a hypothetical question. There is no point of order in it.

श्री त्यागी : कागजातों के काम के लिये भेजने से पहिले.....

श्री रामनाथन चेट्टियार : एक औचित्य प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से मैं एक ऐसा नियम बनाउंगा कि प्रश्न काल के दौरान औचित्य का कोई प्रश्न न उठाया जाये।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि क्या एक मंत्री-पदधारी व्यक्ति अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।

श्री त्याग: मैं इसका विरोध करता हूं। अभी तक तो मैं मंत्री नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है।

श्री त्यागी : यह मेरा अन्तिम दिन है। मुझे एक अवसर दिया जाये।

श्री रघुनाथ सिंह : स्वतन्त्रता का अन्तिम दिन।

श्री त्यागी : महान्यायवादी की राय लेने के लिये कागजातों को भेजने से पहले, क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री ने संबंधित उप-मंत्री से सीधे ही कोई पूछ-ताछ की थी और क्या उनका बयान लिया गया था? यदि हां, तो मंत्री महोदय उसे सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हाथी : बयान तो लिया गया था, परन्तु जहां तक उसे सभा-पटल पर रखने का प्रश्न है तो हम तो सारे कागजातों को महान्यायवादी को भेज चुके हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा): क्योंकि यह मामला मुझ से संबंध रखता है, अत : मैं यह कहना चाहती हूं .....

अध्यक्ष महोदय : क्या वह औचित्य का एक प्रश्न है?

श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा : जी, नहीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्योंकि मैंने यह बयान दिया था और क्योंकि माननीय सदस्य ने प्रार्थना की है अत :, उस बयान के सभा-पटल पर रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिये नहीं कहा। यह निश्चय करना उनका अपना काम है।

श्री रंगा : उन्होंने जो कहा वह मैं नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कह रही हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य चाहे तो वह बयान की एक प्रति दे सकती हैं।

श्री रंगा : उचित अवसर आने पर वह ऐसा करें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह पहल की है। मैं यह नहीं जानता कि.....

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पूछा जाये।

श्री रंगा : कुछ समय पूर्व हमें यह बताया गया था कि सारे मंत्रियों में से अकेले प्रधान मंत्री महोदय ने ही अपनी सम्पत्ति आदि का एक विवरण सम्बद्ध अधिकारियों को भेजा है, और अन्य मंत्रियों ने यह कार्य नहीं किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य किसी मंत्री के मामले में भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और क्या उन मामलों की भी जांच करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है अथवा क्या यह इस प्रकार का पहला ही मामला है ?

श्री हाथी : गृह-कार्य मंत्रालय में, हमको ऐसी और कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार ने उन समाचारपत्रों, घटिया पत्रिकाओं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो कि इस प्रकार से लोगों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रसंगोचित नहीं है।

श्री वारियर : क्या जो कागजात प्राप्त हुए और गृह-कार्य मंत्री महोदय ने जो जांच की थी उनसे यह निष्कर्ष निकला था कि अग्रेतर कार्यवाही के लिये इस मामले को महान्यायवादी को भेजा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री स० मो० बनर्जी : इन कागजातों को महान्यायवादी के पास भेजने से पहिले, क्या वे प्रधान मंत्री महोदय के पास भी विचारार्थ और सूचनार्थ भेजे गये थे ? इस मामले में प्रधान मंत्री महोदय की क्या राय है और सदस्यों में परिचालित किये जाने के लिये तथा उनकी जानकारी के लिये इन कागजातों को सभा-पटल पर रखने में गृह-कार्य मंत्रालय को क्या विशिष्ठ आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बताया है कि ये सारे कागजात महान्यायवादी को भेजे जा चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया मेरा प्रश्न सुनिये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये कागजात प्रधान मंत्री महोदय को भेजे गये थे और क्या उन्होंने यह कहा.....

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं जानता कि क्या हुआ था।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

Shri Kachhavaiya: Has the Deputy Minister got some hidden sources of income, in addition to what she gets as her salary, and if so, what are they ? Why there has been so much delay in enquiring into such a big house constructed by her ?

Mr. Speaker: All this will be seen after the report is received.

श्री हेम बरुआ : एक उपमंत्री द्वारा इस प्रकार का कार्य किये जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री हेम बरुआ : क्या मैं दो बातें जान सकता हूं (१) क्या प्रधान मंत्री महोदय का अनुदेश के पालन में यह मामला महान्यायवादी को सौंपा गया है, और (२) जब गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले की जांच की थी तो क्या गृह-कार्य मंत्री यह समझ गये थे कि प्रथम दृष्टया यह एक जांच का मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है । सभी कागजात महान्यायवादी को भेज दिये गये हैं जिससे कि सरकार यह जान सके कि यह एक प्रथम दृष्टया जांच का मामला है ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक औचित्य प्रश्न पर .....

श्री हेम बरुआ : क्या आपके विचारार्थ मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जब गृह-कार्य मंत्रालय ने इन कागजातों को महान्यायवादी को भेजने का निर्णय किया था, तो यह केवल बहादुरी दिखाने के लिये अथवा मजाक में ही नहीं किया गया था ? उन्होंने इस मामले की जांच की होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका भी यह उत्तर दे दिया गया है क्योंकि यह मामला एक मंत्री से संबंधित था अत : वे इस के बारे में संतुष्ट होना चाहते थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह था कि क्या यह कागजात पहले प्रधान मंत्री को भेजे गये थे? मंत्री महोदय हां अथवा ना कहने के लिये स्वतन्त्र हैं । क्या मुझे इस प्रश्न का स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक, उत्तर जानने का अधिकार नहीं है ?

श्री रंगा : आपने इन औचित्य प्रश्नों के बारे में आपत्ति की है । हम आपसे सहमत नहीं हो सकते । यह ठीक है कि हमें उस स्वतन्त्रता का एक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिये । क्या ऐसी कोई प्रथा नहीं है ? चूंकि समूचे मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है अत : मंत्रियों के बीच क्या कुछ बातचीत होती हैं, क्या हम उसकी जांच नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक यही बात मैं कहने जा रहा था ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि इन मंत्रियों में से प्रत्येक सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के लिये उत्तरदायी होता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रधान मंत्री महोदय को कोई राय देने के लिये विवश किया गया तो महान्यायवादी द्वारा दी जाने वाली राय पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये इस समय उनकी अपनी राय देने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री के अनुदेशों के अनुसार यह मामला महान्यायवादी को भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। गृह-कार्य मंत्री ने ये कागजात भेज दिये हैं, बस इतनी बात है।

Shri Yogendra Jha: Has this complaint against the Deputy Finance Minister been registered on the basis of the reports published in the newspapers or on the basis of a complaint lodged by Shri Tariq who is a Member of Rajya Sabha and belongs to Congress Party?

Mr. Speaker : It may on any basis.

अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का कुछ उद्देश्य होना चाहिये कि कोई नई जानकारी की जानी है। श्री शिंकरे।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय: जो, नहीं। हम इस प्रकार कार्यवाही नहीं चला सकते। जब मैंने किसी दूसरे सदस्य को पुकार लिया है तो वह खड़े हो जाते हैं और औचित्य प्रश्न की बात करते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं एक औचित्य प्रश्न तो उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों कि मैंने श्री शिंकरे को पुकारा है, क्या इसलिये वह एक औचित्य का प्रश्न अपना चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : यह बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तो दूसरी बात समाप्त हो चुकी है। श्री शिंकरे।

Shri Kachhavaiya: May I know whether the reports which appeared in the press regarding Mr. Datar were also wrong? Why no action is taken on a thing, when it appears in the newspapers.

Mr. Speaker : order, Order.

श्री शिंकरे : किस तिथि को ये कागजात महान्यायवादी को भेजे गये थे ?

श्री हाथी : तिथि मुझे नहीं मालूम है ; कुछ दिन पहले भेजे गये थे ।

श्री शिंकरे : यदि वह निश्चित तिथि नहीं बता सकते तो कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि क्या वे इस प्रश्न की सूचना दिये जाने के बाद भेजे गये थे अथवा पहले।

अध्यक्ष महोदय : श्री माथुर। अगला प्रश्न।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सदन में एक बहुत ही गलत धारणा बनती जा रही है.....

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो आने दीजिये, तब हम इस मामले को देखेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :.....विशेष रूप से तब जब कि उपमंत्री महोदय ने यह कह दिया है कि उनके स्पष्टीकरण को सभा पटल पर रखे जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । वह इस सदन के समक्ष उत्तरदायी हैं । इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? हम सभी की रुचि इसको जानने में है, हमें यह बात बताई जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अंगला प्रश्न ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

+

*१०५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्रीमती रामदुलारी सिनहा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) उन्हें कितने मामले सौंपे गये हैं और कितने कर्मचारी साथ कार्य करने के लिये दिये गये हैं ; और

(ग) उन्होंने अपने लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ; और उनके पास किस प्रकार पहुंच की जा सकती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । १९ फरवरी १९६४ से ।

(ख) उनके पास सतर्कता संबंधी १९ मामले और ३०२ शिकायतें आई हैं । उनको दिये गये कर्मचारियों को दर्शाने के लिये एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२७२२/६९]** ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अनुदेश हाल ही में जारी किये गये हैं और एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई । जनता सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पास जा सकती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२७२२/६९]** ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मा० मंत्री ने सतर्कता आयुक्त के कार्य के संबंध में आयुक्त के साथ बातचीत की है और यदि हां अथवा अन्यथा भी, क्या वह हमें यह बता सकते हैं कि वर्तमान जांचों और दण्डों में सुधार करने तथा जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिये क्या सक्रिय और प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : इस मामले पर सतर्कता आयुक्त के साथ चर्चा की गई है । जहां तक विविध विभागों, अर्थात असैनिक सम्भरण और निपट निदेशालय आय कर विभाग, इत्यादि का संबंध है, ये सब विभाग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में सामान्यतया बातचीत की जा चुकी है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस बड़े दस्तावेज से, जो कि इसके उत्तर में रखा गया है, यह विचार आता है कि सभी शिकायतें सतर्कता आयुक्त के माध्यम में भेजी जाएंगी और तब वह, इनकी जांच

करने वाले विविध अभिकरणों को भेजेगा। यदि यह सही है, तो क्या वह किसी प्रकार की कार्यवाही तथा जांच अपने तक रखेगा और यह किस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के साथ मेल खायेगा ?

श्री हाथी : यदि उसके पास सीधी शिकायत आती हैं, तो वह स्वयं उसकी जांच कर सकता है अथवा वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ले सकता है, अथवा वह इसको संबंधित विभाग को भेज सकता है। मंत्रालयों या विभागों के मामलों की पहले जांच संबंधी सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाएगी और वे उन जांचों तथा उसकी प्रगति की रिपोर्ट भेजेंगे।

श्रीमती रामदुलारी सिनहा : क्या राज्यों को भी ऐसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने के लिये मंत्रणा दी गई है ?

श्री हाथी : जी, हां, राज्यों को ऐसा करने के लिये कहा गया है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या गृह-कार्य मंत्रालय को विदित है कि जब इस महान पद के बर्तमान पदाधिकारी को नियुक्त किया गया, तो उसके बारे में बहुत सी शिकायतें थीं कि उसके पास मैसूर उच्च न्यायालय में बहुत से मामले लिंबित पड़े थे और यदि हां, तो क्या ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि उन्हें इस विभाग को सौंपे गये मामलों को शीघ्र निपटाना चाहिये।

श्री हाथी : क्या इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह सकते हैं कि क्या कोई अनुदेश दिये गये हैं कि ऐसी शिकायतों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिये।

श्री हाथी : वह ऐसा ही कर रहा है, वह दो महीने पहले नियुक्त हुए थे और बहुत कुशलता-पूर्वक काम कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या पहला तथ्य सच है या नहीं ?

श्री हाथी : उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की गई थी (अन्तर्वाधा) मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सतर्कता आयुक्त की सहायता के लिये सरकार द्वारा कर्मचारी दिये जाएंगे अथवा क्या उसे इस कार्य के लिये बाहर से सहायता लेने की स्वतंत्रता होगी ?

श्री हाथी : उसे अपने कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार होगा ; सामान्यत: वह सरकारी सेवा से कर्मचारी लेंगे।

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभा में यह बतलाया गया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग संघ लोक सेवा आयोग के नमूने पर काम करता है. यद्यपि इसके लिये सांविधान उपबंध नहीं है ; इन दोनों संस्थाओं की प्रक्रिया का कौन सा भाग बराबर है ?

श्री हाथी : प्रक्रिया का यह भाग कि अपने कर्मचारी नियुक्त करने के लिये प्राधिकार का प्रत्यायोजन और उसे इस मामले में केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के समान स्वतंत्रता होगी।

श्री हम बरुआ : क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को विशेष रूप से समिति की सिफारिशों पर कार्य करने के लिये अनुदेश दिया गया है और यदि हां, तो क्या मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपित मामले भी इस आयोग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आएंगे अथवा नहीं ?

श्री हाथी : मंत्रियों के मामलों का प्रश्न, जहां तक मैं जनता हूं, सतर्कता आयोग के पास नहीं जाएंगे ।

Shri J. S. Choudhary: The Minister has stated that in some states vigilance Commissions have been appointed and in the States they are under formation. May I know in which States those have been formed, and in which States .These are yet to be constituted?

Shri Hathi: I require notice.

श्री बासप्पा : क्या सतर्कता आयुक्त को पर्याप्त अधिकार दिये जा चुके हैं और क्या वह केवल अभियोग चलाने का प्राधिकार है या क्या वह समूचे मामले का फैसला करेगा ।

श्री हाथी : वह अभियोक्ता अधिकारी नहीं, उससे बहुत कुछ अधिक है ।

श्री रंगा : यदि मंत्रियों के आचरण के विरुद्ध आरोपित मामले इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगे, क्या सरकार किसी अन्य तंत्र अथवा संगठन की स्थापना का विचार कर रही है जिसको मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें भेजी जा सकें ।

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले इस सभा के समक्ष वह प्रक्रिया प्रस्तुत की थी जिसे हम अपनाने जा रहे हैं अथवा अपना रहे हैं मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतों के मामले में; वह पहले ही इस की सभा में घोषणा कर चुके हैं ।

श्री हरिविष्णु कामत : यदि मैंने श्री आल्वा के प्रश्न के संबंध में मा० मंत्री का उत्तर ठीक सुना है, तो उन्होंने यह कहा है कि इस मामले की कोई जांच नहीं की गई । क्या मैं मंत्री को याद दिला सकता हूं कि मैंने बजट सत्र के आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने लगभग चालीस मामलों में सुनवाई करके उनको लंबित रख लिया है और निर्णय को रोक रखा है और उनको नये सिरे से सुनवाई करनी पड़ी । मा० मंत्री के उत्तर से, जिन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है, यह विचार बना है इस मामले की जांच होगी और यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है या की जा रही है या किये जाने का विचार है, अथवा इसे खटाई में डाला जा रहा है ?

श्री हाथी : बकाया मामलों संबंधी जांच के प्रश्न में, मैं नहीं समझता कि हमने कोई जांच की है ।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या वे जांच कर रहे हैं या करने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब जांच की जाए ; सदस्यों का आग्रह है कि उनको इसकी जानकारी मिलनी चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri: The Home Minister had stated in his reply at the time of appointment of this Vigilance Commission that that was not the only weapon to root out corruption and that some more steps would have to be taken. Will the jurisdiction of this Commission be enlarged so as to cover the charges of corruption against Ministers or will some additional appointment be made for that purpose?

Shri Hathi: I have already replied to this question.

Shri Achal Singh: What is the name of the Vigilance Commissioner, and what are his functions and duties?

Shri Hathi: All this is mentioned in the statement.

वैज्ञानिक अनुसंधान

*१०५४. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के द्वारा और अन्यथा देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को नया रूप देने और उचित परिवर्तन करने का उनका विचार है ; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मा० मंत्री को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किये जा रहे कार्य तथा कारखानों व क्षेत्रों में व्यवहार में लाये जा रहे प्रयोगों के परस्पर संबंध के बारे में बहुत से सुझाव दिये गये हैं और यदि हां, तो इसको किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ? मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने एक बार इसके बारे में कुछ कहा था । इन कार्यों का समन्वय करने के हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : हमने यह व्यवस्था की है । प्रयोगशालाओं के गठन को इस प्रकार दिशा दी गई है कि वह विज्ञान की मोटी रुपरेखा में ठीक बैठे, परन्तु हमने निर्णय किया है कि कार्य का यथार्थ कार्यक्रम निश्चित उद्देश्यों तथा समय संबंधी लक्ष्यों के साथ परियोजना आधार पर होना चाहिये । इसने बड़ा भारी अन्तर कर दिया है । प्रयोगशालाओं को कहा गया है कि वे विशिष्ट परियोजना पर काम करें, किन्तु परियोजना एक निश्चित समय के अन्दर पूरी की जानी चाहिये ताकि प्रयोगशालएं परियोजनाओं के अनुसार काम करें, जो परियोजनाएं हमारे उद्योगों तथा विज्ञान की प्रगति के लिये सहायक हो सकती है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जहां पर गैरसरकारी आधार पर किये जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान का संबंध है और कुछ मामलों में उस सरकार द्वारा समर्थन तथा सहायता दी जाती है, क्या सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रयत्नों के बीच कोई समन्वय किया जाता है ?

श्री मु० क० चागला : उद्योग तथा प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है । प्रयोगशालाएं उद्योग को सहायता करने के लिये विद्यमान हैं और जहां कहीं उद्योग की समस्याएं हैं, वे प्रयोगशालाओं में आती हैं और वे उनको हल करती हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : गैर सरकारी क्षेत्र में भी कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और कुछ मामलों में, सहयोग है.....

अध्यक्ष महोदय : क्या दोनों में समन्वय करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : हम सभी स्तरों पर, गैर सरकारी, हमारी प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों आदि में अनुसंधान कार्य का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उच्चस्तरों पर अत्यन्त घटिया किस्म के अनुसंधान कार्य के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में जो विशिष्ट निर्देश किया गया है, क्या मा० मंत्री ने उसकी ओर ध्यान दिया है और उसको देखते हुए वह क्या कार्रवाई करने वाले हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूं कि अनुसंधान अध्ययन को मज़बूत किया जाना चाहिये और जिस सीमा तक प्रयोगशालाएं विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अनुसंधान विद्यार्थियों की सहायता कर सकती हैं, उनको प्रत्येक सहायता दी जा रही हैं। अनुसंधान कार्य को सुधारने का एक उपाय विश्वविद्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के बीच उत्तम समन्वय एवं सहयोगी लाना है और यह किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या उन्होंने इन टिप्पणों को ध्यान में रखा है। यदि ऐसा किया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये विशिष्ट रूप में शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी ? सभा पटल पर हाल ही में रखी गई इस रिपोर्ट में यह शिकायत किये जाने के उपरान्त, इसकी ओर क्या ध्यान दिया गया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। हम अनुसंधान संबंधी अध्ययन को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस सीमा तक प्रयोगशालाएं सहायता दे सकती हैं, वे देंगी।

श्री कपूर सिंह : चूंकि सरकार द्वारा वैज्ञानिक धनत्व के आधार के बिना संस्था संबंधी सुविधाओं की जो व्यवस्था की जा रही है, वह बेकार रहेगी, सरकार वैज्ञानिक धनत्व पैदा करके और उसे कायम रखने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय मंत्री की बात से सहमत हूं कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिये। हम प्रारंभिक स्कूलों में भी विज्ञान को लागू करना चाहते हैं और माध्यमिक स्कूलों में भी विज्ञापन के अध्ययन को सबल करना चाहते हैं। अतः मुझे आशा है कि थोड़ी अवधि में ही देश में वास्तविक, सच्ची वैज्ञानिक रूचि उत्पन्न हो जाएगी।

Dr. Ram Manohar Lohia: Is Government aware that a school of thought prevalent in India is opposed to scientific research and if so, what steps are being taken by the hon. Minister in that connection?

श्री मु० क० चागला : या तो मैं प्रश्न ठीक तरह सुन ही नहीं सका या माननीय सदस्य की हिन्दी इतनी कठिन थी कि मैं उसे समझ नहीं सका।

Dr. Ram Manohar Lohia: Why does the Minister give his opinion on a matter about which he does not know anything?

Mr. Speaker: Will he ask the question or not?

Dr. Ram Manohar Lohia: Making such comments on a matter about which he does not know anything is wrong. I had put my question in very simple Hindi.

Mr. Speaker : There is no question of making any comments, Doctor Sahib. He has simply said that he could not follow such difficult Hindi.

Dr. Ram Manohar Lohia: What was difficult in that? The Minister should hear the question carefully.

Mr. Speaker: Will he ask the question or not?

Dr. Ram Manohar Lohia: I am putting the question. But, Sir, I want to say that it would not serve any purpose if everything is taken in lighter vein.

Mr. Speaker: I could understand the cause of his anger. May be, in his opinion, he spoke simple Hindi, but the hon. Minister found it to be difficult. If he has described his Hindi to be difficult one, Doctor Sahib should not get so annoyed. He speaks in simple Hindi, but it is not so that everybody must understand it. So, if he said that he could not follow it, the hon. Member should not feel surprised.

Dr. Ram Manohar Lohia: The Minister should not have made such a comment.

Mr. Speaker: Does he want to ask the question or not?

Dr. Ram Manohar Lohia: There is one particular school of thought prevalent in India, for example astrology etc. With the existence of that school of thought, scientific research becomes difficult. What action is being taken by the hon. Minister in that connection? That school of thought has got hold over his Ministry and the Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ समझा हूं, संभवत: वह यह है कि ये ज्योतिषी हमारी विचारधारा और विचारों को नियंत्रण में करने और अपने अनुकूल बनाने में विश्वास रखते हैं, और इन बातों के संबंध में उस दृज्ञानिक दष्टिकोण का विकास करने के निमित्त क्या किया जा रहा है ?

श्री कपूर सिंह : क्या यह सिद्ध हो चुका है कि ज्योतिष वैज्ञानिक विचार प्रणाली के मूलत: विरुद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा समझते हैं। माननीय मंत्री का इसमें मतभेद हो सकता है।

श्री मु० क० चागला : जहां तक मंत्री का संबंध है, उसे ज्योतिष में विश्वास नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have simply given an example that the school of thought has been spoiling entire country.

डा० सरोजिनी महिषी : ३१ मार्च १९६४ को पुंज में अनुसंधान संबंधी योगताओं वाले अधिकारियों की संख्या कितनी थी, जिनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया, और उन लोगों की सेवाओं का उपयोग उठाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : वैज्ञानिक पुंज के प्रत्येक वैज्ञानिक की सेवाओं का, उनको किसी न किसी रोजगार में उचित ढंग से लगाने के द्वारा, उपयोग करने का इरादा है। उस सीमा तक उसे वैज्ञानिक पुंज में हमेशा नहीं रखा जा सकता।

श्रीमती सावित्री निगम : मा० मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि उनका अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का इरादा, जहां वैज्ञानिक अवकाशकाल में अनुसंधान कार्य में अपना समय लगा सकेंगे। ऐसी अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि मैंने छुट्टियों में काम के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात कही है। मैंने यह कहा था कि ग्रीष्म अवकाश स्कूल स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जहां वैज्ञानिक बैठकें और गोष्ठियां कर सकते हैं विधि वैज्ञानिक समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं। केवल छुट्टियों के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की जा सकती।

श्री हेम बरुआ : चूंकि इ। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान विभिन्न स्थान पर की जाती है, विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, अणु विज्ञान प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि में, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रयत्न दोहरे होते हैं और धन का भी नाश होता है, इन विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य का समन्वय करने के निमित्त क्या सक्रिय कार्रवाई की गई है ?

श्री मु० क० चागला : मैं आश्वासन दे सकता हूं कि न ही समन्वय का प्रभाव है और न ही दोहरापन है और न ही नाश होता है। प्रत्येक प्रयोगशालाएं भिन्न प्रकार का अनुसंधान करती हैं और उनका एक दूसरे के साथ समन्वय होता है ।

श्री हेम बरुआ : मैं उदाहरण दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया है । वह मा० मंत्री से सहमत नहीं यह अलग बात है ।

Shri Yashpal Singh: From the report published by the Government, it is apparent that we will not be able to attain self-sufficiency in the matter of atomic energy. What extent we shall be able to make up the deficiency of scientific research?

Shri M. C. Chagla: I am not responsible for atomic energy, so I cannot say anything about that. If the question relates to scientific research I may be able to reply.

राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा

\+

*१०५५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन ३० मार्च, १९६४ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा की विस्धत योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) ३० मार्च, १९६४ को पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के साथ गृह कार्य मंत्री के सम्मेलन में जिन बातों पर चर्चा हुई थी राष्ट्रीय संयंत्रों की सुरक्षा उनमें से एक थी ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि अन्य उपायों के साथ साथ राष्ट्रीय संयंत्रों के लिये एक सुरक्षा दल स्थापित करने की योजना तैयार की जाए और उसे शीघ्र राज्यों को भेज दिया जाए ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सुरक्षा पुलिस की वह योजना तैयार कर ली गई और उसे राज्यों को भेज दिया गया है और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री हाथी : योजना की मोटी रूपरेखा तैयार कर ली गई है तथा राज्य सरकारों को भेज दी गई है !

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह योजना केन्द्र के निरीक्षण तथा वित्तीय नियंत्रण में चलेगी या राज्य सरकारें केन्द्र से सहायता लेकर इसे चलायेंगी ?

श्री हाथी : विचार यह है कि इसे केन्द्र के हाथ में रखा जाए ।

Shri Yashpal Singh: Is Government aware that there are certain political parties also in this country which indulge in sabotage activites and what is being done to prevent such activities ?

Shri Hathi: That is a different question concerning security but I may add that action is taken in that regard too.

Shri Vishram Prasad: The hon. Minister has stated that a Conference of the Chief Ministers of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa was held in Delhi to evolve a scheme for the safety and secrurity of the national plants. May I know whether there is any idea to introduce such a scheme in other States also ?

Shri Hathi: The meeting recently held was with the Chief Ministers of four States only because disturbances broke out only in these four states. But it is quite apparent that this scheme would be introduced in other States also.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि रूरकेला, रांची तथा भोपाल में पिछले महीने हुए अनुभव को देखते हुए उन मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या है जिनकी पीछे यहां बैठक हुई है ?

श्री हाथी : राज्य पहले तो योजना की मोटी रूपरेखा जानना चाहते थे। वैसे तो सामान्यतः वे सहमत थे परन्तु वे योजना का ब्योरा देखना चाहते थे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में भारी इंजीनियरिंग मंत्री ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक विस्तृत योजना दी गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में इस योजना पर चर्चा हुई थी, यदि हां, तो रिपोर्ट में से कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

श्री हाथी : उस समय हमारे पास विस्तृत योजना नहीं थी। तब हमने मोटी रूपरेखा मुख्य मंत्रियों के सामने रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें ब्योरा चाहिये स्वयं योजना के बारे में नहीं बल्कि कार्यकरण, नियंत्रण, प्रबन्ध, वित्त तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में। सामान्य योजना तैयार कर ली गई है। दूसरा ब्योरा तैयार हो रहा है।

डा० म० श्री अणे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय पक्षी के समान किसी संयंत्र को राष्ट्रीय संयंत्र माना गया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय संयंत्र का स्थान देने के लिये संयंत्रों की कोई सूची बनाई गई है; यदि हां, तो उन संयंत्रों के नाम क्या हैं ?

श्री हाथी : किसी संयंत्र को इस रूप में नहीं चुना गया है। यद्यपि संयंत्रों के लिये यह सुरक्षा योजना मुख्यतः राष्ट्रीय संयंत्रों के लिये है जैसे कि इस्पात संयंत्र, उर्वरक कारखाने तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य कारखाने, परन्तु यदि गैर-सरकारी क्षेत्र इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो हम उन्हें भी इसका लाभ पहुंचा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री स्वीकार करते हैं कि रूरकेला में हाल ही में हुई गड़बड़ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रश्न को विशेष रूप से सम्मेलन में उठाया गया था जैसा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा है ?

श्री हाथी : मेरे विचार में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी ।

Shri Ram Sewak Yadav: Has the attention of the hon. Minister been drawn to political murders in U.P. and the recent attack on a former legislator in Barabanki; if so, is he going to discuss this matter with the Chief Minister of U.P. ?

Mr. Speaker: That has nothing to do with this question. This question is about the security of national plants.

श्री हाथी : इसका सम्बन्ध औद्योगिक संयंत्रों की सुरक्षा से है ।

श्री कृ० चं० पन्त : क्या इस योजना में कोई ऐसा उपबन्ध है कि हमारी राष्ट्रीय परियोजनाओं के सुरक्षा कर्मचारियों को श्रमिक संघों की राजनीति से अलग रखा जाए ?

श्री हाथी : जी हां, इस योजना में यह बात है कि सुरक्षा कर्मचारी श्रमिक संघों के सदस्य नहीं होंगे ।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुये कि जिन समवायों का प्रबन्ध गैर सरकारी हाथों में है उनमें से बहुत से राष्ट्रीय तथा महान महत्व के हैं, उनकी सुरक्षा का प्रश्न उनके विवेक पर क्यों छोड़ दिया जाए ? सरकार उन सभी कारखानों की एक सूची क्यों नहीं बनाती जो महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और उनसे फिर आग्रह क्यों नहीं करती कि वे सब इस सुरक्षा दल का लाभ उठायें और खर्चा देने को भी तैयार रहें ?

श्री हाथी : यह एक अच्छा सुझाव है। इस समय तो हमने केवल सरकारी संयंत्रों के बारे में ही सोचा है क्योंकि उनकी प्रबन्ध, वित्त व्यवस्था आदि सरल होंगे । परन्तु इस योजना को गैर-सरकारी क्षेत्र तक बढ़ाने का हमारा विचार है। आज स्थिति यह है कि यदि वे लाभ उठाना चाहें तो हम उन्हें अवसर देंगे । इसके विस्तार के बारे में सोचना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न संयंत्रों के प्रबन्ध के अधीन सुरक्षा से विवर्ग की वर्तमान व्यवस्था को अन्तिम रूप में निष्प्रभावी पाया गया है और केन्द्रीय दल की प्रस्तावित व्यवस्था क्या एक दूसरा तरीका है या यह केवल प्रयोग की स्थिति में है ?

श्री हाथी : इसके बारे में हमने इसलिये सोचा क्योंकि हमारा पुराना अनुभव यह था कि संयंत्रों में सुरक्षा दल पर्याप्त तथा समुचित नहीं है।

श्री जोकिम अल्वा : आपातकाल की घोषणा अक्तूबर, १९६२ में की गई थी। गृह कार्य मंत्रालय इतने वर्ष नहीं तो इतने महीनों तक इतना सुस्त और आत्म-तुष्ट क्यों रहा है ? इस महत्वपूर्ण मद को कार्यावली में मार्च १९६४ में क्यों रखा गया और वह भी रांची संयंत्र में आग लगाने के तत्काल बाद ?

श्री हाथी : इन संयंत्रों की सुरक्षा के लिये अन्य उपाय किये जा रहे हैं। यहां प्रश्न यह है कि उद्योगों के अपने दल हैं और वे उनकी देखभाल करते हैं। हम समझते हैं कि उनका अपना अपना दल होने की बजाय एक केन्द्रीय दल होना चाहिये।

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने बताया है कि जिन राज्यों से परामर्श किया गया है उनके अतिरिक्त इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जायगा। तो क्या यह योजना सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है? क्या शीघ्र ही कोई सम्मेलन किया जायगा ताकि अन्य राज्य भी इसे स्वीकार कर लें जहां कि राष्ट्रीय संयंत्र हैं?

श्री हाथी : इसे अन्य राज्यों के पास अभी नहीं भेजा गया है परन्तु हम भेज देंगे।

Shri Rameshwaranand: Sir, I have a point of order.

Mr. Speaker: You may sit down. I will just call you.

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि सयत्रों में होने वाली गड़बड़ शायद अन्य स्थानों पर, जहां संयंत्र हैं, होने वाली गड़बड़ से जुड़ी हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई पूर्वोपाय किये हैं, विशेषत: ऐसे क्षेत्रों में जहां गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है, ताकि समूचे कार्यक्रम में संयंत्र भी आ जायें?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने उत्तर में बताया है, इस बारे में भी चर्चा हुई थी। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों पर भी विचार हुआ है।

Shri Rameshwaranand: Mr. Speaker, I want to know how many question of one Member can be entered into a day's list, how many times a Member can rise to ask questions, how much time should be allotted by you to one question, and why a person who speaks in chaste Hindi is looked down. I want your observation on these four points.

Mr. Speaker: The reply to all these points is only one that it is mostly for the Speaker to decide whom he should call, how many times to call, whose question to admit and how much time to allot. I cannot say more than this.

The hon. Member may now take his seat.

Shri Rameshwaranand: Now it is not that you will not allow me to speak. The English speaking persons go on speaking and you cannot do anything. But when I take pride in speaking in Hindi, you ask me to sit down. I want to know how many questions of an hon. Member can be admitted in a day's list under the procedure of Lok Sabha?

श्री शिवाची राव शं० देशमुख : अध्यक्ष के लिये कही गई अपमानजनक बातें कार्यवाही सारांश से निकाल देनी चाहियें।

Shri Rameshwaranand: How is he entitled to speak?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई पहला अवसर नहीं है जबकि ऐसी अपमानजनक बातें कही गई हैं। मैं एक ऐसी अवस्था में आ गया हूं जहां कि मैं केवल इनकी उपेक्षा ही कर सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप इसके अभ्यस्त हो गए हैं।

Shri Rameshwaranand: How is he entitled to speak? I am asking you this that you have the Procedure of Lok Sabha with you and under that procedure how many questions an hon. Member can ask.

Mr. Speaker: I have no reply to it. Let the hon. Member come to me and then we can discuss that book.

Shri Rameshwaranand: You must be knowing.

दिल्ली का राजनैतिक ढांचा

***१०५६. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नये राजनैतिक ढांचे की योजना अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय दिल्ली के साथ सौतेली मां या सौतेला पिता जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है जब कि हिमाचल देश के लिए एक निश्चित विधान बनाया गया है जो कार्यान्वित हो रहा है और एक नया ढांचा बनाया गया है जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : दिल्ली के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उस पर यहां इस सभा में चर्चा हुई थी जब संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया था और यह निर्णय हुआ था कि दिल्ली को हिमाचल प्रदेश जैसा स्थान नहीं दिया जा सकता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कठिनाई क्या है? क्या कठिनाई राजनैतिक दलों की ओर से है या जनता की ओर से या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण ? कठिनाई है क्या ?

श्री ल० ना० मिश्र : कठिनाई केवल प्रस्तावित राजधानीय परिषद् को कतिपय विषय हस्तान्तरित करने की है । हम इस पर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि तीन या चार महीनों में हम इसका निर्धारण कर लेंगे ।

श्री शिवचरण गुप्त : इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री से दिल्ली के जो प्रतिनिधि मिले उनमें तथा भारत सरकार में किन बातों पर मतभेद था और किन पर वे सहमत थे।

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न चर्चाधीन है। कुछ बातें मान ली गई हैं और कुछ नहीं मानी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो वह जानना चाहते हैं कि कौनसी बातें मानी गई हैं . . .

श्री ल० ना० मिश्र : मैं समझता हूं कि इस समय यह बताना उचित नहीं होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । क्या यह कोई नया आधार है, जिस पर कि कोई मंत्री सभा के सामने तथ्य रखने से इन्कार कर सकता है अर्थात् औचित्यता का आधार ? उन्होंने कहा है, "पटल पर रखना उचित नहीं है आदि ।"

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अभी वे विचाराधीन हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर उन्हें किसी और तरह उत्तर देना चाहिये, इस तरह से नहीं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि दिल्ली के लोगों द्वारा स्टेट असेम्बली के लिये दबाव डाले जाने के कारण सरकार को अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : दबाव का कोई सवाल नहीं है। दिल्ली के लिये एक अच्छे प्रशासन के हित में यह नया प्रस्ताव आया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री गजराज सिंह राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रस्तावित नये ढांचे में पंजाब तथा किसी अन्य पड़ौसी राज्य के कुछ भागों को मिलाने का भी विचार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं।

Arrest of Pakistan Spies near RamgarBoh rder

+

***1057.** **Shri Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Brij Raj Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three Pakistani spies have been arrested in Ramgarh (Jammu) area and two of them are Pakistani nationals:

(b) whether it is also a fact that some documents and letters and Pakistani currency have been recovered from them;

(c) whether it is also a fact that three spies were arrested previously also from that area which included one female; and

(d) if so, the action being taken against the spies and the action Government propose to take to check such activities in future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c) When firing between Pakistan forces and Indian border Police started in Ramgarh area in early March, 1964, the local population was moved to safer zones. A number of people from Jammu went to the place of firing to meet their relatives or as spectators. Three persons among them, including one woman, were found moving about in a manner which appeared suspicious. On interrogation by the Police they were found to be innocent and were let off. No recovery of documents or Pakistan currency has been made from them. No such incident took place earlier.

(d) The Jammu and Kashmir Government have taken all possible precautions to check the activities of spies from Pakistan.

Shri Kachhavaiya: Why were these persons arrested and under what conditions were they released? What were their names?

Shri Hathi: They were arrested because they were suspected to be Fakistani spies. They were arrested on the 10th March. I do not have their names with me at this moment.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Study of Foreign Languages in India

***1049. Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to open a study centre for the study of foreign languages in India;

(b) if so, when it would be opened; and

(c) the names of the foreign languages for the study of which arrangements would be made ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

हिन्दी का प्रचार

*१०५३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के अध्ययन और प्रचार के लिये अहिन्दी-भाषा-भाषी राज्यों को, राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) इन राज्यों में हिन्दी को लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या मुख्य कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) परिणाम कहां तक संतोषजनक पाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७२३ / ६४]

Illegal Arms Factory at Lucknow

*1058. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri D. C. Sharma :
Shri Kachhavaiya:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that police unearthed an illegal arms factory on the 26th March, 1964 at Lucknow and that the arms manufactured therein were supplied to Pakistani Agents;

(b) whether Pakistani literature and arms were also recovered by police from that factory during the raid;

(c) whether it is a fact that a brother of the accused is an officer in the Pakistan High Commission at New Delhi; and

(d) whether it is also a fact that a large quantity of arms are sold to that person by the Indian Arms Corporation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) It is a fact that the Police unearthed a small illegal arms factory at Lucknow on March 26, 1964. So far there is no definite evidence to show that the arms manufactured in this factory were supplied to Pakistani agents. Investigation is continuing.

(b) Some arms and amunition were recovered by the Police during the raid but no Pakistani literature has been recovered.

(c) A brother of one of the accused person is reported to be an employee of the Pakistan High Commission at New Delhi.

(d) From the investigations made so far it has not been established that fire-arms were sold by this firm to any of the accused persons.

पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें

*१०५९. श्री जसवन्त मेहता :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यु० सिंह० चौधरी :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री स्वैल :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री उटिया :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री शिंकरे :
श्री हेम बरूआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राजस्थान विधान सभा में पूछे गये इस प्रश्न की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान के बारमेड़ गांव में पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार मामले की जांच कर रही है ।

शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन

*१०६० **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्रीमती राम दुलाबी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्व का ढांचा क्या होगा ; और

(ग) पुनर्गठन से यदि कोई लाभ होने की सम्भावना है तो क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) मंत्रालय के पुनर्गठन के काम को, जिसे शिक्षा और विज्ञान के दो विभागों को समाप्त कर के चालू किया गया था, हाल ही में पूरा किया गया है । प्रारम्भ में, मंत्रालय का काम दो विस्तृत क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था । और इसे दो सचिवों के अधीन रखा गया था, शिक्षा संबंधी कार्य का महत्वपूर्ण भाग अन्य सब कार्यों से अलग कर दिया गया था । आगे पुनर्गठन का आधार नीचे दिया गया है :—

(१) परस्पर मिलते जुलते काम को सम्बद्ध कर दिया जाये, और

(२) विभागों के ज़रिए जो कार्य होते थे वे, जहां संभव हो, ब्यूरो के जरिये होंगे। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरदायित्व के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

प्रशासनिक परिवर्तन इस प्रकार किये जायेंगे :—

(१) स्कूल शिक्षा के सब पहलुओं का काम एक ब्यूरो के ही अन्तर्गत रहेगा ।

(२) विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्य उच्चतर शिक्षा ब्यूरो के अन्तर्गत रहेगा ।

(३) इस समय छात्रवृत्तियों का काम कई स्थानों पर किया जाता है और जब वह छात्रवृत्ति ब्यूरो में किया जायेगा ।

(४) भाषा, साहित्य और ललित कला में अभिव्यक्त संस्कृति के एकीकरण का कार्य एक ब्यूरो के अन्तर्गत केन्द्रित किया जा रहा है ।

(५) शिक्षा संबंधी आयोजन और सम्बन्धित शिक्षा सेवाएं अर्थात्, प्रकाशन, सांख्यकी और सूचना आदि का कार्य एक और ब्यूरो के सुपुर्द किया जायेगा ।

जो कार्य-कलाप नवीन ब्यूरो में एकीकृत नहीं किये गये हैं वे पहले की भांति विभागों में ही निबटाये जायेंगे ।

आशा है कि इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप (क) काम का युक्तिसंगत वितरण, (ख) दोहरापन से बचाव और अनुवर्ती समन्वय से बचाव, और (ग) समरूप कार्यों का एकीकरण और जब भी व्यवहार्य हो, वरिष्ठ पदाधिकारियों के स्तर पर आबद्ध प्रभार होगा ।

विश्वविद्यालय में 'रीडिंग सीट'

*१०६१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजनावधि में कुछ विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में 'रीडिंग सीट्स' की व्यवस्था करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) इन सीट्स में विद्यार्थियों तथा अनुसन्धान छात्र को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री म्० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने अपनी ४ दिसम्बर की बैठक में बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों में दिन में पढ़ने वाले छात्रों के लिये निवास स्थानों को स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया ।

(ख) योजना के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां

*१०६२. **श्री हरिश्चन्द्र मायुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के लिये सदस्यों का चुनाव तथा नियुक्ति करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : संविधान के अनुच्छेद ३१६ (१) के परन्तुक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य उन विख्यात व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिनका सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में बड़ा अनुभव होता है । नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री की सिफारिशों पर की जाती हैं।

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां भारत सरकार के क्षेत्र में नहीं आतीं। संविधान के अनुच्छेद ३१६ (१) के अन्तर्गत ये नियुक्तियां संबंधित राज्य के गवर्नर द्वारा की जाती हैं ।

राष्ट्रीय वेधशालाओं में अनुसंधान

*१०६३. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बदरुद्दुजा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वेधशालाओं के बहुत से निदेशक अनुसंधान-कार्य नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्य से उनको छुटकारा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वे अनुसंधान कार्य में अपना समय लगा सक ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चूंकि निदेशक वेधशालाओं के सभी कार्यों के प्रभारी हैं, इसलिये उनकी कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं। परन्तु इस सम्बंध में उन्हें दिन प्रति दिन के कार्यों से छुटकारा दिलाने के लिये वेधशालाओं में अपेक्षित पदस्थिशि के प्रशासनिक और लेखा प्राधिकारियों की व्यवस्था है ।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई

१०६४ : श्री हरि विष्णु कामत : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाखों रुपये के मूल्य के वेधशाला के औजार तथा यंत्र भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था; बम्बई से गायब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी, १९६१ से अब तक कौन कौन सी तथा कितनी मात्रा में वस्तुयें गायब हुई; और

(ग) उन को वापस लेने के लिये तथा भविष्य में ऐसी हानियां न होने देने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख): जी नहीं। तथापि, आरम्भ से अब तक केवल २,३६३ रु० के मूल्य की निम्नलिखित देसी वस्तुओं की छोटी हानियां हुई हैं :

	मूल्य रुपये
(१) एक बिजली से चलने वाली दीवार की घड़ी	७५
(२) एक तांबे की पट्टी	६८
(३) ४५ फुट लम्बा केबल	१७०
(४) एक हाथ से चलने वाली छेद करने की मशीन	५०
(५) एक ए० वी० ओ० मीटर (वसूल कर लिया गया है)	१५००
(६) एक मैगर	५००

(ग) जहां भी आवश्यक समझा गया हानि की जांच विभाग अथवा पुलिस द्वारा कराई गई है। ऐसी हानियों की रोक-थाम के लिये सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिये गये हैं।

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के संबंध में पुस्तकें

***१०६५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों का विचार क्रान्तिकारियों, जिन्हों ने स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी थी, कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने का है जिन को स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में लगाया जा सके;

(ख) ये पुस्तकें किन भाषाओं में प्रकाशित की जानी हैं; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में ऐसी पुस्तकों को लगाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) राज्य सरकारों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आई० सी० एस० अफसर

*१०६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पच्चीस वरिष्ठ आई० सी० एस० अफसरों में से कितने ऐसे अफसर हैं जो चार वर्ष की अधिक अवधि से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त हैं ?

(ख) ऐसे अखिल भारतीय सेवा के कितने और अफसर हैं जो चार वर्ष से अधिक की अवधि से प्रतिनियुक्त हैं; और

(ग) उन के कार्यकाल से अधिक प्रतिनियुक्त रहने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) १३

(ख) आई० ए० एस० १६६

आई० पी० एस० ७५

(ग) लोक हित में। तथापि, ऊपर दिये गये सभी प्राधिकारी अपने कार्यकाल से अधिक समय के लिये नहीं ठहर रहे हैं। जो कि पुलिस की नौकरियों और संयुक्त सचिव और इस के बराबर के पदों के लिये ५ साल हैं ।

अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखक

*१०६७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–२७२४/६४]

(ग) योजना पहले से ही लागू कर दी गई है। आरम्भ में पुरस्कार उपन्यास के लिये दिये जायेंगे और एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों से ३०-६-१९६४ तक प्रविष्टियां मांगी गई हैं ।

विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पर किया गया व्यय

२१६२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ से १९६२–६३ तक चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान पर किया गया व्यय कुल विभागीय व्यय के मुकाबिले में कितना रहा; और

(एक) उसी अवधि में अध्यापन और अनुसन्धान के लिये क्रमश: कितने प्रतिशत कर्मचारी लिये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) और (ख). यह सही बताना संभव नहीं है कि अनुसंधान पर कितने प्रतिशत व्यय किया गया क्योंकि अध्यापन और अनुसन्धान साथ साथ चलते हैं और प्रयोजनों के लिये कोई पृथक राशियां नहीं दी जातीं। तथापि यह समझा जाता है कि कुल व्यय का लगभग २० प्रतिशत भाग विज्ञान विभागों में अनुसन्धान से सबंध रखता है और १० प्रतिशत भाग साहित्य दर्शन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय विभागों में अनुसन्धान से संबंध रखता है ।

इसी प्रकार यह बताना भी संभव नहीं है कि कितने कर्मचारी क्रमश: अध्यापन और अनुसन्धान कर रहे हैं क्योंकि कोई भी अध्याकपक केवल अध्यापन अथवा अनुसन्धान कार्य के लिये नियुक्त नहीं किया जाता। सभी अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे विभाग के अध्यापन और अनुसन्धान कार्यों में भाग लें ।

Papers connected with framing of Constitution.

2163. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given toUnstarred Question No. 2112 on the 18th September, 1963 and state:

(a) the progress since made in obtaining such papers as are connected with the framing of the Indian Constitution for National Archives;

(b) Whether an attempt has been made to search and procure other such important papers connected with the framing of the Constitution; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No substantial progress has been made in the acquisition of documents relating to the framing of the Constitution of India since Unstarred Question No. 2112 was answered in the Lok Sabha on the 18th September, 1963. In this connection, it may be stated that a set of the debates of the Constituent Assembly, a full set of the Orders of the day, a set of the reports of the different Committees set up by the Constituent Assembly, Select Cabinet Mission papers and Memoranda by the then Provincial Governments of India as also by the Ministries of the Government of India on a number of constitutional topics are available in the National Archives of India. Besides, the National Archives of India has got in its possession a sound recording of the proceedings of the Constituent Assembly.

(b) The National Archives of India has been making every possible effort to acquire the private collections from the owners but the response has been far from encouraging. The request made by the National Archives of India to the Rajendra Prasad Memorial Trust in regard to the acquisition of papers pf the late Babu Rajendra Prasad is being sympathetically considered by the Trust.

(c) No. tangible result has been achieved so far.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भर्ती

२१६४. श्री गुलशन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में १९६३ में श्रेणी १, श्रेणी २, श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के पदों के लिये कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(ख) १९६३ में अनसूचित जातियों के लिये कितने पद रक्षित किये गये और उन पदों पर वास्तव में उन जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने कर्मचारी १९६३ में श्रेणी ४ से श्रेणी ३ में पदोन्नत किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर यथासंभव रख दिया जयेगा।

उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता

२१६५ **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय को तीसरी योजना अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) राशि किस प्रयोजन के लिये दी गई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क०चागला) : (क) और (ख) अपेक्षित जानाकारी संलग्न है विवरण में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७२५ / ६४]

उड़ीसा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

२१६६. **श्री धुलेश्वर मीना:**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये १९६३–६४ में वास्तव में कितनी राशि के अनुदान और ऋण दिये गये ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्य को १९६४–६५ में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बताने वाल एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७२६ / ६४]

इस विवरण में दी गई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य योजनाय भी हैं जिन के लिये अनुमोदित ढांचे के अनुसार सहायता दी जा सकती है। यह सहायता राज्य सरकार को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दी जाती है।

विशेष पुलिस विभाग :

२१६७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६३–६४ में राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुध पुरी शाखा के विशेष पुलिस विभाग द्वारा कितनी जांच की गई; और

(ख) उसी अवधि में कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है और दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध १९६३–६४ में कोई जांच नहीं की गई थी । १ जनवरी, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध ७८ जांच और ११ नियमित मामले दर्ज किये गये थे; और

(ख) ५७ प्रारम्भिक जांच और ४ नियमित मामलों का काम इस बीच पूरा हो गया है। दो मामलों में अधिकारियों को हटा दिया गया था और एक मामले में एक वर्ष के लिये वृद्धि को रोक दिया गया था। एक नियमित मामले में अधिकारी को दोषी ठहराया गया और ३ वर्ष का कड़ा दण्ड दिया गया था ।

उड़ीसा में पोलीटैक्निक

२१६८. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय लड़के और लड़कियों के लिये कितने पोलिटेक्निक काम कर रहे हैं तथा वे किन किन स्थान पर हैं ;

(ख) क्या १९६४–६५ में इस संस्था को बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस समय उड़ीसा में ७ पोलीटैक्निक काम कर रहे हैं जो कि निम्न हैं :

१. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक ।
२. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, झरसुगुडा ।
३. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, बरहामपुर ।
४. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, भद्रक ।
५. स्कूल आफ इंजीनियरिंग, केन्द्रपाड़ा ।
६. कम्पोजिट पोलीटैक्निक, रूरकेला ।
७. उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग, इंजीनियरिंग, क्योंझरगढ़ ।

(ख) और (ग). उड़ीसा की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बोलनगीर और खुरदा में दो और पोलीटैक्नीक और भुवनेश्वर में एक महिला पोलीटैक्नीक स्थापित किये जायेंगे। विस्तृत योजनाओं और ये संस्थापन कब चालू होंगे इस के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

Campus works Projects in Pratapgarh.

2169. Shri Rananjai Singh: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the higher secondary schools in district Pratapgarh (U.P.) to which garants have been sanctioned under Campus Works Project;

(b) the number of instalments and the amount paid so far; and

(c) when further instalments are likely to be paid?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No grant has been sanctioned to any of the higher secondary schools in district Pratapgarh (U.P.)

(b) and (c). Do not arise.

ताज महल

२१७०. **श्री चुनी लाल:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पुरातत्वीय विभाग ने व्यावसायिक फोटोग्राफरों द्वारा ताज महल का चित्र लिये जाने पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस रोक का पर्यटक व्यापार और सरकार के प्रचार कार्य पर असर पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में बच्चों का उठाया जाना

२१७१. **श्री चुनी लाल:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में, वर्षवार, दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में बच्चों का अपहरण करने वाले १२ वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे ले गये ; और

(ख) पुलिस द्वारा कितने बच्चे पुनः प्राप्त किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) :

वर्ष	ले जाये गये बच्चों की संख्या	पुनः प्राप्त किये गये बच्चों की संख्या
१९६०	१४	१४
१९६१	९	८
१९६२	११	१०
१९६३	२१	१६

मिदनापुर जिले की जनसंख्या

२१७२. **श्री स० चं० सामन्त:**
श्री ब० कु० दास:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के संबंध में यह जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा पटरल पर रखने की कृपा करेंगे कि

पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले की गांव वार अथावा मौजावार जन संख्या क्या है । तथा प्रत्येक गांव में कितनी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जानकारी बताने वाली सारणियां अभी पाण्डुलिपियों के रूप में हैं । वे बहुत विशाल हैं और उनकी प्रतिलिपियां तैयार करनेमें जितना धन खर्च होगा और जितना श्रम लगेगा वह उस से प्राप्त परिणामों के समुपयुक्त नहीं होगा, विशेषरूप से जब कि वे १९६५ में मिदनापुर की 'डिस्ट्रिक्ट हैंड बुक ' में छापी जायेंगी । इस अवधि में उनकी पाण्डुलिपियां नई दिल्ली स्थित महा पंजीयक के कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

चिकित्सा संबंधी और सुरभियुक्त पौधों का सर्वेक्षण

२१७३. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनी हुई खेती के लिये देश में महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी और सुरभियुक्त पौधों का गहन सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के कब प्रकाशित होने की आशा है ; और

(ग) सर्वेक्षण का अनुमानित व्यय क्या है, और उस में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार का क्या भाग होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Gifted Children

2175. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2111 on the 18th September, 1963 and state :

(a) the outstanding features of the study of gifted children made by the National Council of Educational Research and Training.

(b) the details of the work started as an experimental scheme and the experience derived from it ; and

(c) whether any such system has been evolved so as to benefit gifted children all over the country ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) to (c) There are two different projects undertaken by the National Council of Eductional Research and Training. One is a research study on identification of talent in elementary and secondary schools. This project will take three years to complete and is designed to evolve some tools for identification of talented children.

The other project is for encouragement of scientific talent among the students and is called Science Talent search. Details regarding this have already been furnished in reply to Starred Question No. 537 on 11th March, 1964.

Central Advisory Board for Primary Education

2176 Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1486 on the 4th September, 1963 and state :

(a) whether the recommendations adopted at the meeting of the Standing Committee of Central Primary Education Advisory Board held at Patna in April, 1963 have since been received by Government ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reactions of the Central and State Governments thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) The Standing Committee of the Central Advisory Board of Education for Primary Education has submitted an interim report.

(b) The main recommendations of the Committee regarding primary education in Bihar are as follows :—

(i) The State Government should adopt the double shift system in Classes I and II with a view to increasing the pupil-teacher ratio and thus reducing the demand for funds.

(ii) Inspite of any saving that might arise as a result of this recommendation, the total financial allocation for elementary education now included in the third Plan would have to be incresed by about Rs. 3 crores in order to achieve the targets. This may be done by suitable adjustments and by increasing the ceiling of the education plan.

(iii) This allocation would enable the State Government:

(a) to open all the additional schools required in accordance with the Educational Survey ;

(b) to appoint the necessary number of additional teachers in the existing schools ; and

(c) to improve the remuneration of teachers.

(iv) The Committee felt that it may not be possible at one stretch, to eliminate all the difference in the dearness allowance paid to elementary teachers and government servants drawing the same salary. It is therefore, recommended that a phased programme, spread over a short period, should be drawn up for this purpose by the State Government in consultation with the Government of India. The Centre should also assist the State to put accross this programme.

(c) The State Government has adopted the double-shift system. A special grant-in-aid of Rs. 20 lakhs was sanctioned to the State Government in 1963-64 for appointment of additional teachers. The State Government provided an equal share.

The other proposals of the Committee are under consideration of the State Government and the Government of India.

प्रत्युपकुलपति[1]

२१७७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्वविद्यालय में एक प्रत्युपकुलपति की नियुक्ति का कोई उपबन्ध है ;

[1]Pro-Vice-Chancellors.

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं ?

(ग) जिन विश्वविद्यालयों में यह उपबन्ध है, उन के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या यह पद पूर्णकालिक है और सवेतन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Education of Adult Women

2178. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether Government have this year formulated a scheme of short course of two year duration for the education of adult women under which unattached and divorced women would be given short training for preparing them to appear in Junior High School or High School Examination ; and

(b) if so, the date from which this scheme would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundram Ramachandran) : (a) and (b). The scheme in question is already being implemented under the auspices of the Central Social Welfare Board since 1st August, 1958.

Archaeological Finds in Rishikesh

2179. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some archaeological finds of Kushan period which are of great historic value were found in Rishikesh, district Dehradun in the last week of January, 1964 while excavations were being made there ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Some brick structures of archaeological importance have been exposed in the course of digging but the relics cannot definitely be assigned to the Kushan period.

(b) The ruins exposed consist of dilapidated brick structures.

(c) The matter is under examination.

Awards to teachers by State Governments

2180. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have asked the State Government to give awards to teachers for their meritorious services at State level also so that more teachers could get awards ; and

(b) if so, the reaction of State Governments thereto ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The State Governments were requested in 1961 to institute awards for teachers at the state level.

(b) The following State Governments have instituted State level awards for teachers :——

1. Gujarat
2. Kerala
3. Maharashtra
4. Mysore
5. Orissa
6. Punjab
7. Uttar Pradesh
8. West Bengal

Andhra Pradesh, Assam, Madhya Pradesh and Nagaland have not yet instituted any such awards.

Information from four State Governments has not been received yet.

Excavations at old Fort of Rajghat

2181. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many fine articles of archaeological interest were found during the excavations in the old fort of Rajghat under the supervision of the Principal of the College of Indology of Kashi Hindu University, Varanas in February 1964 ; and

(b) if so, the details of the articles found ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The important finds are gold coins of Gupta dynasty, sealings, beads of terracotta, agate, jasper, glass cernelian and crystal and terracotta human and animal figurines besides various burnt-brick structures.

तेल निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण

२१८२. श्री महेश्वर नायक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के भूभौतिकीय उपक्रमों के एक विशेषज्ञ दल ने भारत के कुछ भागों में तेल निक्षेपों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किये ;

(ख) यह सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किया गया ; और

(ग) सर्वेक्षण का अब तक क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) जी, हां; पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर—गोरखपुर—नौतनबा क्षेत्र में, उत्तरी बिहार के हाजीपुर—मुज्जफ्फरपुर-सीतामढ़ी, समस्तीपुर,—मुजफ्फरपुर—रक्सौल, और पूर्णिया

किशनगंज क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के जलपाइगुडी , दार्जीलिंग, मालदा, और पश्चिम दीनाजपुर के जिलों में।

(ग) सर्वेक्षण से पूर्णिया —किशनगंज क्षेत्र में एक पृथक तलछट बेसिन का पता लगा है, जिस में एक महत्वपूर्ण एन्टीक्लाइनल वस्तु का भी पता लगा है ।

कोयली तेल शोधन कारखाना

२१८३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल, तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गुजरात में कोयली में सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन कारखाने को चलाने के लिये एक सीमित समवाय बनाने के मामले पर तब से विचार कर लिया है, और उसको अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) और (ख). कोयली तेल शोधन कारखाने का सरकारी क्षेत्र में इन्टीग्रेटेड आयल कम्पनी का स्वामित्व होगा जो कि इण्डियन आयल कम्पनी और इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड को मिला कर बनायी जायेगी।

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

२१८४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की समस्या के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

रूसी अध्ययन संस्था

२१८५. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ का दिल्ली में एक रूसी अध्ययन संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). हाल ही में रूसी उच्चस्तर और विशेष माध्यमिक शिक्षा मंत्री के भारत के दौरे के दौरान उनको भारत में एक रूसी अध्ययन संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया गया इस पर रूस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नेत्रहीनों के लिये उपकरण

२१८६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बदरुद्दजा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६२ में नेत्रहीनों के लिये उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में द्वितीय विशेषज्ञ की सेवाएं मांगी गयी जब कि सिफारिश प्रथम विशेषज्ञ के बारे में की गयी थी ;

(ख) यदि हां, ो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) द्वितीय विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं कहां तक लाभप्रद हैं और इसकी उन पर किये गये व्यय से क्या समानता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Thefts in M. P's. Houses

2187. **Shrimati Chavda :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of thefts or attempted thefts reported in the houses of the Members of Parliament during the last one year ;

(b) the number of cases in which action was taken and the number of theives apprehended ;

(c) whether in any of the cases Member was given any kind of threat also; and

(d) if so, the action taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Hathi) :

(a) Thefts (including Burgalries with thefts)	Attempted thefts
38	Nil

(b) Investigation was taken up in all cases and 3 persons were arrested.

(c) Yes, Sir.

(d) The case is under investigation. Suitable arragements for giving protection have been made.

दिल्ली की पुलिस के कर्मचारी

२१८८. **श्री कछवाय :**
श्री बृजराज सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेतन-स्तर पुनरीक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रसासन द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-स्तरों पर विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब के आपराधिक मामले

२१८९. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टकाट्ट :

क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने आपराधिक मामले पंजाब राज्य से बाहर के न्यायालयों को स्थानान्तरित किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

Comfirmation of Assistant

2190. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that a number pf Assistants who have put in more than 10 years satisfactory service in that grade are still continuing on a temporary basis ;

(b) if so, the number of such assistants; and

(c) the period required for a person to become permanent in a particular grade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs. (Shri L. N. Mishra) : (a) *and* (b). The number of temporary Assistants with more than 10 years' service is 365.

(c) No such period can be specified as confirmation depends on the availability of permanent vacancies in the particular grade.

Alleged sale of Army Bombs

2191. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that somebody had planted a bomb in village Jalkota Teshil Maheshwar, District Khargone in Madhya Pradesh on the eve of Holi;

(b) whether four persons performing Holi pyre were killed, six injured and the whole village was reduced to ashes as a result of tht explosion ;

(c) whether it is a fact that the bomb in question was sold to a Mohammedan for Rs. 200/- by the military personnel and severalsuch bombs have been sold to certain persons ; and

(d) whether any enquiry is made regarding the bombs found missing from the Defence stores at Mhow Cantt. at the time of firing, and if so, the total number of bombs reported missing ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :

(a) Yes Sir.

(b) Two persons died on the spot, two others died later in hospital, and five persons received serious injuries. It is not a fact that the whole village was reduced to ashes. Only a cattle shed was damged owing to fire.

(c) No Sir.

(d) It is understood from Army authorities that after firing practices 4 blinds (i.e. shells which did not explode due to a defect, etc.) could not be located for destruction and the matter was reported to the Circle Inspector of Police Mandleshwar on 29th October 1962.

निरक्षरता-उन्मूलन

२१९२. **श्री गहमरी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को के भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता आयोग ने कहा है कि यूनेस्को को संसार में निरक्षरता वाले क्षेत्रों में निरक्षरता-उन्मूलन क लिए तत्काल एक परियोजना आरम्भ करनी चाहिए; और

(ख) यदि हा, तो उस पर यूनेस्को की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). यूनेस्को के भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता आयोग ने २१–२२ मार्च, १९६४ को नई दिल्ली में हुए छठे सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया जिसमें यह सिफारिश की गयी कि यूनेस्को को संसार के बड़े निरक्षरता वाले क्षेत्रों में निरक्षरता-उन्मूलन के लिए तत्काल एक वृहत् परियोजना आरम्भ करनी चाहिए और विश्व मत तैयार करना चाहिए और विश्व संसाधन जटाने चाहिएं ताकि कम से कम समय में संसार से निरक्षरता को कम से कम किया जा सके ।

इस सिफारिश को यूनेस्को को इसके अक्तूबर नवम्बर, १९६४ में होने वाले अगले सामान्य सम्मेलन में विचारार्थ भेजा जायेगा । सम्मेलन में वर्ष १९६५–६६ के लिए संगठन के कार्यक्रम और बजट स्वीकृत किये जायेंगे जिससे इस सिफारिश पर यूनेस्को की प्रतिक्रिया का भी पता चलेगा ।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पारितोषिक

२१९३. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९६० से १९६२ तक वैज्ञानिक विषयों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये पारितोषिक देने का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पारितोषिक मिला और किन विषयों में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । वर्ष १९६२ में दो ।

(ख) भौतिक विज्ञान के लिए २, रसायन विज्ञान के लिए ३, जीव विज्ञान के लिए २, इंजीनियरिंग के लिए २ और चिकित्सा विज्ञान के लिए १ ।

उड़ीसा में युवक छात्रावास

२१९४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को वर्ष १९६३–६४ में राज्य में युवक छात्रावासों के निर्माण के लिये कितनी रकम वास्तव में आवंटित की गयी ;

(ख) इसी अवधि में किन स्थानों पर छात्रावास बनाये गये हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष १९६४–६५ में राज्य को कितनी धनराशि दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) गोपालपुर में युवक छात्रावास के लिए दूसरी और अन्तिम किश्त के रूप में २०,००० रुपये दिये गये ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में भुवनेश्वर और गोपालपुर–दो स्थानों पर युवक छात्रावास बनाने के लिए अनुदान मंजूर किये गये हैं । पहली किश्तें क्रमश: १९६०–६१ और १९६१–६२ में दी गयीं ।

(ग) भुवनेश्वर में युवक छात्रावास के लिए २०,००० रुपये की अनुदान की अन्तिम किश्त प्रथम किश्त के बारे में निर्धारित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी ।

उड़ीसा में संगीत नाटक अकादमी को सहायता

२१९५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा को राज्य में उड़िया ड्रामों के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां । संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में 'जत्र' सम्बन्धी अनुसंधान के लिए उत्कल नाट्य संघ, कटक को ६५०० रुपये का अनुदान दिया ।

असैनिक प्रतिरक्षा संगठन

२१९६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९६३–६४ में असैनिक प्रतिरक्षा संगठन पर कुल कितना व्यय किया ; और

(ख) राज्य सरकारों से कितनी सहायता और सहयोग मिला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) विभिन्न मंत्रालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में असैनिक प्रतिरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रही हैं ।

लम्बित मामले

२१९७. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६४ के अंत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों की क्या संख्या है ; और

(ख) कितने मामले तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योगों को राज सहायता

२१९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे उद्योग को, जो कोयले के स्थान पर भट्टी तेल का इस्तेमाल करे, राजसहायता न देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hindi Directorate

2199. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether noting on files in the Central Hindi Directorate is completely done in Hindi ; and

(b) if not, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Yes, Sir, generally, except in cases relating to administrative and financial matters to which have to be referred to the Ministry of Finance, Accountant General Central Revenues, Union Public Service Commission etc.

राजस्थानी साहित्य और संस्कृति

२२००. **श्री तन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को वर्ष १९६३–६४ में राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के उत्थान और संरक्षण के लिये कोई अनुदान दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९६३-६४ में राजस्थान सरकार को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

(१) राजस्थान दल के उड़ीसा और केरल के दौरे के लिये ६००० रुपये ।

(२) राजस्थान दल के केन्द्रीय कमान के दौरे के लिये ३३०० रुपये ।

(३) राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश के प्रकाशन के लिये २३,४०० रुपये ।

(४) राज्य संग्रहालय के विकास के लिये ८४,७५० रुपये ।

Hindi Forms

2201. **Shri Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the target date fixed for completing the work of Hindi translation of various forms used by Government ;

(b) the percentage of forms translated into Hindi or expected to be translated into Hindi upto the target date; and

(c) the reasons if any, for the slow speed of work and the measure being adopted to remove the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). In implementation of the Presidential directive of 27th April, 1960, it was decided in March, 1961 to complete translation of rules, manuals and other procedural literature including forms used in the Offices of the Government of India by the Ist April, 1963. Accordingly action was taken for creation of posts for and recruitment of the requisite staff through usual channels. It took some time in making such appointments. Simulatenously the Ministries of the Government of India were requested to forward to the Central Hindi Directorate the literature to be translated. The position of the translation of forms as on 1-4-1963 was :

(*i*) Number of forms received from various Ministries, Attached Offices, etc.for translation	10,250
(*ii*) Number of forms translated	8,200
(*iii*) Number of forms returned to the departments concerned duly translated and finally approved . . .	3,000

The work is of 'continuing' character.The forms were received from time to time and these are still being received. The present position of the translation of forms is :

(*i*) Number of forms received .	12,579
(*ii*) Total number of forms translated . . .	9,744
(*iii*) Total number of forms returned to the departments concerned after finalisation	4,598

It is hoped that the back-log will be cleared soon and in future the progress will be more statisfactory.

खेलकूद प्रशिक्षण शिविर

२२०२. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला के सहयोग से अप्रैल, १९६४ के अन्त तक देहरादून और नैनीताल में अस्थायी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् मई-जून, १९६४ में किसी समय देहरादून, अल्मोड़ा और रुड़की में कुछ प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना चाहती है और इस प्रयोजन के लिये उन्होंने राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला से प्रशिक्षकों की सेवायें मांगी हैं । इस मामले पर संस्था विचार कर रही है ।

(ख) प्रशिक्षण शिविर खेल, क्रिकेट, बास्केट बाल, टेबल टेनिस, वालीबाल, बैडमिन्टन और टेनिस के बारे में आयोजित किये जायेंगे ।

पिछड़े वर्ग आयोग

२२०३. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री सिद्ध्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में ३ सितम्बर, १९५६ को सभा में, आयोग के प्रतिवेदन के साथ, पेश किये गये ज्ञापन और १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०३ और ३१-५-१९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां

२२०४. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार वर्ष १९६३–६४ में प्रत्येक तकनीकी संस्था को आवंटित योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि दी गयी ; और

(ग) इसी योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवत्तियां देने के लिये बिहार को कितनी धनराशि दी गयी ?

शिक्षा मंत्री **(श्री मु० क० चागला)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकाल में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७२७/६४]**

दक्षिण अन्दमान में हायर सेक्रेडरी स्कूल

२२०५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अन्दमान (पोर्ट ब्लेयर) में हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा के हिन्दी और उर्दू—दो माध्यम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों में हिन्दी अथवा उर्दू में विभिन्न विषय बढ़ाने के लिये अर्हता प्राप्त पथक अध्यापक रखे गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्तत जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इलाहाबाद में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

२२०७. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों।अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोला है;

(ख) कथित स्कूल में कितने अध्यापक हैं और कितने विद्यार्थी हैं।; और

(ग) प्रति विद्यार्थी फीस, रहने के खर्च समेत कुल कितना खर्च किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) सारे शिक्षक केवल अंशकालिक रूप से नियुक्त हैं । ३१-१२-१९६३ को अंशकालिक अध्यापकों और विद्यार्थियों का अनुपात ३६/५२ था । यहां बड़ी संख्या में विषय पढ़ाये जाते हैं ।

(ग) वर्ष १९६२–६३ में प्रति विद्यार्थी प्रति मास लगभग २०० रुपये । इसमें सभी खर्च शामिल हैं ।

Letters Allegedly Written By Shri Dange

2208. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Lahiri Singh :
Shri Balmiki :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri A. P. Jain :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Shree Natrayan Das :
Shri Jashvant Mehta :

Will the Minister of **Home Affair** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some letters alleged to have been written by the Chariman of the Communist Party of India, Shri S.A.Dange before indpendence to the then Government of India for his release from the prison are preserved in the National Archives ;

(b) whether it is also a fact that their inspection and obtaining copies thereof has now been prohibited ;

(c) whether it is also a fact that Government proposed to remove those letters from there ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) One file pertaining to the year 1924 preserved in the National Archives of India contains some such letters allegedly written by Shri S.A. Dange in that year to the then Government of India.

(b) No sir, inspection and obtaining of excerpts is allowed according to rules.

(c) and (d). The file has been temporarily kept under the personal custody of the Home Secretary as a number of members of Parliament have been wanting to see the papers.

अन्दमान श्रमिक बल

२२०९. **श्रीमती सावित्री निगम:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३–६४ में हर बड़े काम के लिये अन्दमान श्रमिक बल द्वारा दिये गये श्रमिकों के बिलों की कुल राशि कितनी है, जिसमें हर काम के लिये और देय विभागों के लिये बिलों की रकम पृथक पृथक बतायी गयी हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : वर्ष १९६३–६४ में अन्दमान श्रमिक बल द्वारा बड़े बड़े कामों के लिए दिये गये श्रमिकों की मजूरी के बिलों की राशि निम्न प्रकार है :

१. देय विभाग

	रुपये नये पैसे
जहाजों पर माल लादना और उतारना	२,३४,०१८.८३
एस० एस० 'चोलुंगा' को कोयले का लदान	४,५०८.००
अन्दमान लोक निर्माण विभाग . .	४,२४०.००
नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि साफ करना .	८,८४८.००
विभिन्न अन्य विभाग	११,५६६.६०
कुल	२,६३,१८१.४३

२. अदेय (सेवा) विभाग :

रोस महाद्वीप का साफ किया जाना . . .	३,२८०.००
बुकसाबाद और पानीघाट में बसे मछुओं के लिए अस्थायी झोंपड़ी बनाना	१०,२०१.६०
माउन्ट हेरियट पर अस्थायी विश्राम-गृह बनाना (१४४३.२० रुपये) और अस्थायी स्कूल इमारत का निर्माण (१,३७२.८० रुपये) .	२,८१६.००
सार्वजनिक बाग का संधारण .	४,५७९.२०
अन्य विभिन्न मद . .	५,९७८.२०
कुल .	२६,८५५.००
३. राष्ट्रीय दिवस और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के सम्बन्ध में व्यवस्था	३,८०१.६०
४. सरकारी क्वार्टरों में झाड़ लगाना और उनकी सफाई	५४,४१२.८०
५. गैर-सरकारी पक्षों को दिये गये श्रमिक . .	७७७.६०

पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

२२१०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र को इच्छानुसार पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र-आन्दोलन के इतिहास के संग्रह के लिए पश्चिम बंगाल राज्य ने कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर एक "कौन कौन है" समिति भी बना दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के क्या कृत्य हैं;

(घ) इन दो प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कितना धन खर्च किया; और

(ङ) कार्य कब तक पूरे होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री भु० क० चागला) : (क) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के संग्रह के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से नहीं कहा है । राज्य सरकार से केवल डा० ताराचन्द लिखित स्वतंत्रता आन्दोलन इतिहास के प्रथम खंड का बंगाली अनुवाद तैयार करने को कहा गया लेकिन उन्होंने इस समय ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

(ख) जी, हां । समितियां राज्य सरकार ने स्थापित की हैं ।

(ग) समितियां उन व्यक्तियों के बारे में "कौन कौन है" नामक पुस्तक के लिये, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, सामग्री एकत्र करने में लगी हैं । एक समिति वर्ष १८१८ से १९०४ तक और दूसरी १९०५ से १९४७ तक की अवधि के लिये सामग्री एकत्र कर रही है ।

(घ) आशा थी कि एक "कौन कौन है" पुस्तक तैयार करने में वर्ष १९६३–६४ तक राज्य सरकार ३०,५४२ रुपये खर्च करेगी जिसमें से उनको ९,८८१ रुपये भारत सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं ।

(ङ) इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार "कौन कौन है" नामक पुस्तक के संग्रह का काम राज्य समितियों द्वारा जून, १९६४ तक पूरा किये जाने की आशा है ।

अविलम्बनी लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों का नागालैंड में कथित प्रवेश

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "नागालैंड के मुख्य का कथित कथन कि बड़ी संख्या में नागा विद्रोही नागालैंड में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : दिसम्बर, १९६३ में विद्रोही नागाओं का एक दल मणिपुर सीमा के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को पार कर बर्मा के चिन-हिल्स इलाक़े में दाख़िल हुआ और वहां से वह उन हथियारों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से पूर्व पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया जिनके बारे में ख़बर है कि वे वहां पहुंच गये थे । नागालैंड वापस

आते हुए वे बर्मा पहुंच गये और कहा जाता है कि वे मणिपुर की पूर्वी सीमा के साथ साथ चल रहे हैं और बर्मी प्रदेश से गुज़र कर उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। कुलियों को लेकर उनकी संख्या ८५० बताई जाती है।

हमारी सुरक्षा सेनाएं इस स्थिति की ओर से सजग हैं और ज़रूरी एहतियाती क़दम उठा रही हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी है कि नागा विद्रोहियों को पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्र दिये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा प्रतीत होता है कि शस्त्रास्त्र उनको पाकिस्तान ने दिये हैं परन्तु निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता—पूर्व) : क्या मैं जान सकता हूं कि विद्रोही नागाओं के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमारी सेना उन को रोकने का पूरा प्रयत्न करती है। परन्तु वह इलाका इतना कठिन है कि वहां पर खोज निकालना बहुत मुश्किल है। हम ने कुछ विशेष कदम उठाये हैं। विद्रोही अभी नागालैंड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा की गयी कार्यवाही के क्या परिणाम होंगे इस बारे में कुछ कह सकना कठिन है।

श्री हेम बरूआ (गौहाटी) : इस क्षेत्र में समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और यह देखते हुए कि पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त ने विद्रोही नागाओं को पाकिस्तान से भारत आने के लिये प्रोत्साहन दिया है क्या पाकिस्तान के इस कार्यालय को अविलम्ब बन्द किया जा रहा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारी सेना वहां पर काफी सतर्क है और कुछ कदम भी इस सिलसिले में उठाये गये हैं। उन विद्रोहियों के मिलते ही उन्हें नष्ट कर दिया जायगा। नागालैंड में जो हाल ही में परिवर्तन हुए हैं उन के कारण वहां पर स्थिति में सुधार हो जायगा।

श्री हेम बरूआ : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा था कि केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम चाहते हैं कि उस विशेष प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न है। आप ने दूसरे प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति दी थी, इसलिये माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं ने कहा था कि केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाय इसलिये इसके लिये मैं उत्तरदायी हूं।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर) : विद्रोही नागाओं के नागालैंड में प्रवेश करने में क्या किसी विदेशी धर्मप्रचारक का हाथ तो नहीं है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मुझे मालूम है नागालैंड में इस समय विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या नगण्य है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी दे दिया जाय ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक शिलांग में पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय का सम्बन्ध है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उचित समय आने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री हेम बरुआ : यह पाकिस्तान का कार्यालय विद्रोहियों को प्रोत्साहन दे रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में निर्णय लेने में सरकार कितना समय लेगी ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सरकार शक्तिहीन हो चुकी है ।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेख तथा अन्य सम्बद्ध पत्र

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७३४ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(दो) दिनांक ४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८२ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—२७१९/६४]।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे की एक प्रति तत्संबंधी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—२७२०/६४]।

सदस्य के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार सम्बन्धी जांच के बारे में पत्र

PAPERS RE : ENQUIRY INTO ALLEGED ILLTREATMENT OF MEMBER

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : श्री हुक्म चन्द कछवाय, संसद् सदस्य के साथ अम्बाला केन्द्रीय जेल में किये गये दुर्व्यवहार के बारे में उनके द्वारा लगाये गये आरोपों और अम्बाला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच से प्रकट हुए तथ्यों का एक विवरण अम्बाला के जिला मजिस्ट्रेट के जांच-प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—२७२१/६४]

Shri Bade (Khargon) : I want to know the reaction of the Goverment in regard to the enquiry held.

Mr. Speaker : How Members may study the statemen first and they can se k any clarification afterwards.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री ने वक्तव्य में सरकार के निर्णय की चर्चा भी की है कि वह जांच के निर्णयों को स्वीकार करती है अथवा नहीं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि आरोप जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये थे इसलिये यह जांच जिला दण्डाधीश के सपुर्द की गयी थी ?

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : कल एक ध्यान दिलाने वाली सूचना को ५ बजे लिया जाना था ।

अध्यक्ष महोदय : पहले दिये गये वचन के अनुसार माननीय सदस्य को बाहर जाना पड़ा । उनके लौटने पर अवसर दिया जायेगा ।

सदस्य के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार सम्बन्धी जांच के बारे में पत्र--जारी

PAPERS RE : ENQUIRY INTO ALLEGED ILL-TREATMENT OF MEMBER—*contd.*

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : केवल पंजाब सरकार द्वारा की गयी जांच का प्रतिवेदन ही सभा-पटल पर रखा गया है । हमारी प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं है चूंकि हम वहां जो कुछ हुआ उस को जा कर देख नहीं सकते ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Minutes

श्री मुरारका (झुनझुनूं): मैं चालू सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की छठी बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESULUTIONS

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री प्र० चं० गुह (बारसाट) : मैं योजना आयोग--ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम के बारे में प्राक्कलन समिति का पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६१-६२

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1961-62

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं वर्ष १९६१-६२ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(१) भारतीय खान स्कूल की शासी परिषद्

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय के दिनांक ४ मई, १९५७ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ३१५(१)/५७-एम तीन के पैरा ४ और ५ के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें भारतीय खान स्कूल, धनबाद की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के दिनांक ४ मई, १९५७ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ३१५(१)/५७–एम तीन के पैरा ४ और ५ के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें भारतीय खान स्कूल, धनबाद की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

(२) केन्द्रीय मानव विज्ञान सलाहकार बोर्ड

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २९ जून, १९६१ के संकल्प संख्या एफ०, २१/१–६१–सी० आई० के पैरा ३(५) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, २९ जून, १९६४ से आरम्भ होकर तीन वर्ष तक उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय मानव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २९ जून, १९६१ के संकल्प संख्या एफ०, २१/१–६१–सी० आई० के पैरा ३(५) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, २९ जून, १९६४ से आरम्भ होकर तीन वर्ष तक उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय मानव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

श्री कृपालानी (अमरोहा) : अन्तर्राज्यिक अपराधियों के गिरोहों तथा विदेशी जासूसों के दमन का दायित्व राज्यों के साथ साथ केन्द्रीय सरकार का भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी घुसपैठ करने वालों की भी समस्या है। इन समस्याओं को हल करने के बारे में केन्द्र को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। पिछले १७ वर्ष में सरकार ने पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती।

[श्री कृपलानी]

जहां तक प्रशासन व्यवस्था का सम्बन्ध है, शासक तो बदल गये हैं परन्तु कार्य प्रणाली वही बनी हुई है । भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही का उसी तरह बोलबाला है । पदाधिकारी अब भी अपने आप को जनता का सेवक नहीं वरन् स्वामी समझते हैं । सरकार ने अब स्वयं स्वीकार किया है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत पाया जाता है । भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये सन्थानम समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए । भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये मैं कुछ अन्य सुझाव भी दूंगा । भ्रष्टाचार का सब से बड़ा साधन मंत्रियों आदि के पर्सनल असिस्टैंट्स हैं । इन लोगों के वेतन भी अनुचित तौर पर बढ़ा दिये गये हैं और उन को चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के टिकट दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त घूस भी इन्हीं लोगों के द्वारा ली और दी जाती है । इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । बड़े बड़े लोगों की पत्नियों और नातेदारों की चल एवं अचल सम्पत्ति का लेखा-जोखा होना चाहिए । माननीय मंत्री को यह भी चाहिए कि वह प्राक्कलन समिति एवं लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को गौर से देखें ।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति अधिक सावधानीपूर्वक करनी चाहिए ।

राजनीतिक नेताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि वह थोड़ी सी भी अनियमितता बरतते हैं तो उनके अधीन काम करने वाले निर्बाध तौर पर भ्रष्टाचार फैलायेंगे ।

इस सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने फ्लैट्स किराये पर दे रखे हैं । यह विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने का एक तरीका है । इस प्रवृत्ति पर भी काबू पाया जाना चाहिए ।

भ्रष्टाचार से प्रशासन एवं देश का पतन होता है । आज हमारे देश में पतन के लक्षण दिखाई देते हैं । इसलिये सरकार को चाहिए कि अकुशलता एवं भ्रष्टाचार को दूर करें और देश को पतित होने से बचायें । कई बार साम्यवादी और तानाशाह भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कठोर उपाय करते हैं, उस का यह अर्थ नहीं होता कि वह निर्दयी हैं । वास्तव में स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये ऐसी कठोर कार्यवाहियां करना वांछनीय होता है । परन्तु १७ वर्ष की अवधि में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार ने कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की । जो राजकीय ठाट बाठ अंग्रेज़ों के काल में थे वह अब भी चले आ रहे हैं । राज्यपालों के भवन एवं राष्ट्रपति भवन को आप देख सकते । गरीब जनता के प्रतिनिधियों के लिये यह ठाट बाट शोभा नहीं देते । स्वयं गांधी जी ने कहा था कि वायसराय के निवास स्थान को अस्पताल में परिणित कर दिया जाना चाहिए । परन्तु आज हमने उसे चिड़िया घर बना दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान के लिये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री कृपालानी : धनी तथा शिक्षित जनता में विलासप्रियता बढ़ रही है और इस वर्ग तथा आम जनता में अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । लोग आधुनिक प्रवृत्तियों में बह कर भारत की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं । वास्तव में भारत के उच्च एवं शिक्षित वर्ग न पश्चिमी हैं न भारतीय ही ।

गांधी जी ने देश की आम जनता के साथ भ्रातृत्व की भावना ला कर देश में एक नया वातावरण पैदा किया था, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम ने अपनी

संस्कृति एवं कौशल का विनाश करने की कोशिश की है । पश्चिम की सभ्यता से गांधी जी ने भी बहुत कुछ सीखा था परन्तु उन्होंने अपनी भारतीयता का त्याग नहीं किया । और ऐसा ही मार्ग हमें निर्माण की ओर ले जा सकता है ।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मंडल बनाये जाने पर बधाई देता हूं।

सभी संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जाता। हिमाचल प्रदेश, गोआ और पांडिचेरी में तो लैफ्टिनैंट गवर्नर हैं जब कि मनीपुर तथा त्रिपुरा में मुख्य आयुक्त हैं । यह भेदभाव नहीं होना चाहिए । सभी क्षेत्रों में लैफ्टिनैंट गवर्नर होने चाहिएं। इसी तरह विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन तथा भत्ते एक समान नहीं हैं । एक अन्य भेदभाव का उदाहरण यह है कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये सामूहिक सेवा है जब कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिये ऐसा उपबन्ध नहीं है । इस के कारण अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को उचित सुविधायें नहीं मिलतीं । इसलिये अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी अलग अलग सेवा पदालियां होनी चाहिएं ।

संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रियों की संख्या ३ से बढ़ा कर ५ कर दी जानी चाहिए चूंकि वर्तमान संख्या अपर्याप्त है । इस के अतिरिक्त कुछ संघ राज्य क्षेत्र तो गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन है और कुछ वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन । मेरा अनुरोध है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों को गृह कार्य मंत्रालय के अधीन रखा जाय।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि मनीपुर तथा त्रिपुरा में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है जो बात पूर्णतः गलत है । वहां पर बराबर स्थिति खराब रही है और नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं । हाल ही में यह खबर छपी थी कि २५ मार्च को ७०० नागा विद्रोही बोगमल गांव में प्रवेश कर गये और बर्मा के लड़ाकू विमान द्वारा उन की रक्षा के लिये उड़ान की गयी । यह भी मालूम हुआ है कि बर्मा की सरकार और अधिकारी इन विद्रोहियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इन बातों से स्पष्ट है कि वहां स्थिति में सुधार होने की बजाय बिगाड़ ही हुआ है । सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को कम करने का प्रयत्न कर रही है । मेरा सुझाव है कि स्वयं संसद सदस्य वहां जा कर देखें कि स्थिति क्या है ।

मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन में रानी गैडीलयू के गिरोह की गतिविधियां बढ़ रही हैं । इस कारण भी विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ हुआ है ।

मनीपुर में ४०० वर्ग मील का पहाड़ी क्षेत्र है परन्तु वहां पर २०० से अधिक होम गार्ड नहीं है । इतनी कम संख्या में होम गार्डों के होने से विधि तथा व्यवस्था बनी नहीं रह सकती । इस समस्त सीमा के लिये होम गार्डों की संख्या में वृद्धि की जाय ।

यह शर्म की बात है कि मनीपुर के लिये जल सम्भरण की योजना पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयी थी तरन्तु अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका । इस योजना को तीसरी योजना में ही पूरा किया जाना चाहिए ।

[रिशांग किशिंग]

यह दुःख की बात है कि मनोपुर के लिए केवल ८०० किलोवाट मात्रा में बिजली दी जाती है । सरकार ने लोगों को भ्रम में डालने के लिए वहां पहाड़ी क्षेत्रों और गांवों में बड़ी संख्या में बिजली के खम्बे लगाये ताकि जनता यह समझे कि सरकार उन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बिजली का प्रबन्ध कर रही है । इनमें से कई खंभों के गिर जाने से बहुत से मवेशी मर चुक हैं । सरकारको इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ।

इस समय अखिल भारतीय सेवायों में काम करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या बहुत कम है : इन जातियों के लिए पदों का आरक्षण निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नहीं अपितु जन संख्या के अनुसार किया जाना चाहिए । इन जातियों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होन पर मौखिक परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है । लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को केन्द्रीय सचिवालय की सेवा तथा अन्य किसी अखिल भारतीय सेवा में लिया जाना चाहिए । इन जातियों के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति के पदों में स्थान रक्षित किये जाने चाहिएं । इस समय देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है । सरकार को देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिएं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इन जातियों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को जानी चाहिए क्योंकि बिना शिक्षा के किसी प्रकार की प्रगति आशा करना निरर्थक है ।

आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्डों को अधिक कार्यशील होना चाहिए और इन बोर्डों की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होनी चाहिएं । सभी राज्यों में इस प्रकार के सलाहकार बोर्ड बनाये जाने चाहिएं जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के संसद्-सदस्य लिये जाने चाहिएं ।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए यथासंभव प्रयत्न किये जाने चाहिएं । अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी सिखाने के लिये सरकार द्वारा काफी प्रचार किया जाना चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के कार्यों की प्रसंशा की है, कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्रालय की कटु आलोचना करके हमें स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है तथा अन्य सदस्यों ने प्रशासन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । मैं मंत्रालय संबंधी अधिक से अधिक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा ।

सरकार यह बात स्वीकार करती है कि देश में शीघ्र प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है । इसके लिए प्रशासन संबंधी प्रक्रिया में ही सुधार करना काफी नहीं होगा, अपितु देश की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

सरकार प्रशासन संबंधी अनेक समस्याओं पर, जैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन, सरकारी सेवाओं में सच्चाई बनाये रखना, जनता की शिकायतों को दूर करने के हेतु एक संस्था स्थापित करना, प्रत्येक स्तर पर सुधार संबंधी पुनर्गठन करना आदि, गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए इस समय केन्द्र तथा राज्यों में लगभग ७० समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं । इन समितियों द्वारा की गई कई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अन्य कई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । सिफारिशों पर अविलम्ब विचार करने तथा उन्हें अविलम्ब क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र ही मंत्रालय में एक प्रशासन सुधार विभाग खोला जायेगा । यह विभाग प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों को दूर करने संबंधी व्यवस्था का ब्योरा भी तैयार करेगा । इस विभाग के खुल जाने से प्रशासन में सुधार संबंधी कार्य शीघ्रता से किये जा सकेंगे ।

सभा को यह विदित ही है कि इंजीनियरी, वानिकी (फॉरेस्ट्री), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नयी अखिल भारतीय सेवायें चालू करने के संबंध में गत वर्ष इस सभा में कानून पारित किया जा चुका है । राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके इनके लिये नियमों तथा ढांचे को अन्तिम रूप दिया जायेगा । इसके बाद लोक सेवा आयोग के सहयोग से इन सेवाओं का प्रारम्भिक गठन किया जायेगा । इन सेवाओं से प्रशासन सुदृढ़ बनेगा और राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी ।

शिक्षा संबंधी सेवाओं, कृषि संबंधी सेवाओं तथा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर चालू करने के लिये राज्य सरकारों से परामर्श लिया जा रहा है । इसमें अब तक काफी संतोषजनक प्रगति हुई है । आशा है निकट भविष्य में इन सेवाओं के गठन के बारे में सभा में ऐक विधेयक लाया जायेगा ।

अखिल भारतीय सेवाओं का कार्य अधिक सुचारुरूप से चलने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना आवश्यक है । सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है । असैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (नेशनल अकाडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन) स्थापित की गई है । इसमें प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के अलावा भारतीय इतिहास तथा संस्कृति, गांधी जी के विचार, आर्थिक योजना और सामाजिक कल्याण की समस्याओं का अध्ययन भी कराया जाता है । इस अकादमी में प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं तथा बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के परिवीक्षकों (प्रोबेशनर्स) को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मसूरी प्रशिक्षण संस्था का विस्तार भी किया गया है ताकि वहां पर अधिक संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके ।

देश के आयोजित औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक अखिल भारतीय सांख्यिकी सेवा तथा एक अखिल भारतीय आर्थिक सेवा गठित की गई हैं । संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इन सेवाओं के लिए क्रमशः १६३ और २६२ पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं । आशा है इन सेवाओं के लिये

[श्री हाथी]

शीघ्र ही नियमित रूप से कर्मचारी भर्ती किये जायें। इन सेवाओं के कर्मचारी केन्द्र तथा राज्यों के सभी सरकारी संगठनों में भेजे जायेंगे और इन संगठनों के कर्मचारी इन सेवाओं में भी लिये जायेंगे। देश में सांख्यिकी तथा आर्थिक सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए इनकी सेवायें विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसन्धान संस्थाओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को भी उपलब्ध की जायेंगी। देश के औद्योगिक विकास तथा सुदृढ़ औद्योगिक प्रबन्ध की आवश्यकता को देखते हुए इन सेवाओं का और अधिक विस्तार किया जायगा। हमारे पास इस समय औद्योगिक प्रबन्ध पूल में सम्मिलित करने के लिए १११ योग्य पदाधिकारी हैं।

विदेशों में विभिन्न पदों पर कर्मचारी भेजने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करके प्रविधिज्ञों तथा इंजीनियरों की एक तालिका तैयार की है। विदेशों की मांग को पूरा करने तथा वहां काम करने के लिए विभिन्न पदों पर ४६३ व्यक्ति सरकार द्वारा विदेश भेजे गये हैं।

मैं नेशनल राइफल एसोसियेशन को दिये जाने वाले अनुदान के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले इसको तीन मंत्रालयों, अर्थात् गृह-कार्य मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, द्वारा अनुदान दिया जाता था। किन्तु अब यह कार्य शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही अब पूरा अनुदान दिया जाता है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपराधों को कम करने के भरसक प्रयत्न कर रही हैं। देश में इस वर्ष अपराधों की संख्या गत वर्षों की तुलना में कम है और शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में भी गत वर्षों की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। सरकार ने हाल में कुछ क्षेत्रों में हुए साम्प्रदायिक दंगों का बड़ा दृढ़ता से मुकाबला किया और उन्हें शान्त करने में पूर्णरूप से सफल रही। देश में औद्योगीकरण तथा नगरों के विकास के साथ साथ बहुत समस्यायें भी पैदा हो गईं। अतः इसके लिये पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है।

हालांकि अधिकांश पुलिस कर्मचारी राज्य सरकारों के अधीन हैं फिर भी भारत सरकार पुलिस बलों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में बहुत रुचि रखती है और उसने इस उद्देश्य के लिये कई प्रशिक्षण संस्थायें खोली हैं। कलकत्ता में केन्द्रीय विधि सम्बन्धी विज्ञान प्रयोगशाला (सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी) स्थापित की गई है जहां पुलिस कर्मचारियों को छानबीन के वैज्ञानिक तरीके सिखाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल हैं जहां सब-इंस्पैक्टरों को अपराधों का पता लगाने के उन्नत तरीके सिखाये जाते हैं। दूसरा जासूसी प्रशिक्षण स्कूल हैदराबाद में खोला जा रहा है। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों का पता लगाने में राज्य सरकारों तथा अन्य देशों की सरकारों को बहुत योग दे रहा है। अभी हाल में केन्द्रीय मोटर परिवहन प्रशिक्षण स्कूल तथा हथियार प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किये गये हैं। माउंट आबू में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज आई० पी० एस० के वरिष्ठ अधिकारियों के लिये उच्च पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त, चुने हुए वरिष्ठ अधिकारी वैज्ञानिक छानबीन के नवीनतम तरीके सीखने के लिये विदेशों को भेजे जाते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को अपने विधि विज्ञान प्रयोगशालायें खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। केन्द्रीय पुलिस गवेषणा केन्द्र पहले से ही काम कर रहा है और केन्द्रीय विधि सम्बन्धी विज्ञान सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय मैडिको-लीगल सलाहकार समिति की विशेष जानकारी भी उन्हें दी जाती है। आवश्यकता के समय राज्य सरकारों को पर्याप्त

सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सशस्त्र पुलिस की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया है और इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं और सशस्त्र पुलिस बलों को हथियारों, वायलरलेस सेटों, गाड़ियों, आदि से सुसज्जित करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। वर्तमान संकटकाल में पुलिस बलों को दुर्गम इलाकों में अपना कर्तव्य पालन करने के लिये कहा गया था। कुछ सशस्त्र बल अब भी सीमाओं पर नियुक्त हैं। उन्हें पर्याप्त मान्यता देने के लिये भारत सरकार ने इन कठिन क्षेत्रों में एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों को पुलिस का विशेष सेवा पदक देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं में भी वृद्धि कर दी गयी है।

न्यायिक सुधारों के प्रश्न की जांच करने के लिये गृह-कार्य तथा विधि मंत्रालयों में एक एक विशेष विभाग खोला जा रहा है। जहां तक व्हिटले परिषदों की स्थापना का प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले बताया हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय द्वारा हल किया जा सके। यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनकी समस्याओं के हल के लिये यह एक उचित व्यवस्था है तो उनके हड़ताल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम चाहते हैं कि चाहे वे हड़ताल कर सकते हों, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत आने के लिये यह शर्त है कि वे हड़ताल नहीं करेंगे। जो इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उनके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर्मचारी संघों में बाहर के व्यक्तियों को पद देने के बारे में उन संघों को यह अधिकार न देने का प्रश्न ही नहीं उठता, यदि सम्बन्धित विधि इस प्रकार का अनुमति देती है। परन्तु जहां तक व्हिटले परिषदों का सम्बन्ध है, ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होने चाहियें और जो उनसे काम लेते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जिनको उनकी समस्याओं की जानकारी हो। हम इस योजना को शीघ्र लागू करना चाहते हैं। केवल २० जनवरी को ही यह योजना विभिन्न संघों को भेजी गई थी। उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है। अगले महीने श्रम मंत्रालय के परामर्श से एक बैठक बुलाई जा रही है। प्रारम्भ में इसे प्रयोगात्मक रूप में लागू करने का विचार है। यदि यह सरकारी कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में सफल सिद्ध होती हैं तो उनके तथा सरकार के बीच के सम्बन्धों को पक्का किया जा सकेगा।

जहां तक राज्य लोक सेवा आयोगों का सम्बन्ध है, उनमें नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया भिन्न है। हमें इस बारे में संविधान के उपबन्धों का पालन करना होता है। श्री मसानी ने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, मैं उसके बारे में यह कह सकता हूं कि सरकार ने काफी सोच विचार के बाद उस पर प्रतिबन्ध लगाया है, क्योंकि वह भारत सुरक्षा अधिनियम, १९६२ के नियम ३५ के खण्ड (७) में उल्लिखित 'पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन' शब्दों की परिभाषा के अन्तर्गत आती है। उस पुस्तक को अपने पास रखना गैर-कानूनी है अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस पुस्तक को अपने पास नहीं रखेंगे। श्री मसानी ने दूसरी आपत्ति श्री डांगे के पत्र के बारे में उठाई थी। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यदि उस पत्र के असली अथवा नकली होने के प्रश्न पर मतभेद है तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस समूचे प्रश्न की जांच करे। श्री मसानी ने कहा है कि डांगे की श्री नन्दा से मित्रता होने के कारण उन पत्रों की जांच नहीं कराई गई है। इसके विपरीत, हमने सबको उन पत्रों को देखने की अनुमति दी है। हमने उनको राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्स) से निकलवा कर गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव के कमरे में रखवा दिया है। कोई भी संसद् सदस्य अथवा अन्य

[श्री हाथी]

व्यक्ति वहां जाकर उनकी शनाख्त कर सकता है । परन्तु सरकार का उनकी जांच कराने का कोई विचार नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा है कि राज्यों के मुख्य सचिव केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त सचिव तथा सचिव के स्तर के नहीं होते जिसके परिणामस्वरूप उनके स्थानान्तरण में बाधा पड़ती है। हमने उनका वेतन २७५० रुपये कर दिया है जो कि केन्द्र के अतिरिक्त सचिव के वेतन के बराबर है। अतः अब इन अधिकारियों के स्थानान्तरण में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक आई० ए० एस० पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, उन में से अधिकांश पांच वर्ष की अवधि तक दिल्ली में रहेंगे। और उन्होंने वह अवधि अभी पूरी नहीं की है । कुछ अतिरिक्त सचिवों तथा सचिवों की अवधि पूरी हो गई है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में वे यहां ठहर सकते हैं । कुछ 'पूल' अधिकारी भी वहां पर हैं । मैं यहीं पर समाप्त करता हूं ताकि मेरे वरिष्ठ साथी अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सकें और सदस्यों को अब अपने विचार व्यक्त करने का समय मिल सके ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : इस वाद-विवाद के दौरान बहुत सी महत्व-पूर्ण बातें उठाई गई हैं अतः गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाना चाहिये ताकि इस सब का उत्तर दिया जा सके । मैंने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भी रखा है कि समय बढ़ाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । प्रस्ताव सभा द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है । माननीय मंत्री को इन सारी बातों का उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा ।

श्री प० ना० कयाल (जयनगर): हमने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पेश कर दिया है । आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखने की कृपा करें ; अन्यथा हम आगे कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों का नियम ३३८ इस प्रकार है :

> "किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये कि जो सारवान रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है ।"

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): इसका इस नियम के अन्तर्गत अर्थ नहीं निकाला जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में निर्णय करेंगे ।

श्री खाडिलकर (खेड) : जब पहला निर्णय किया गया था, तब स्थिति दूसरी थी । परन्तु वर्तमान संदर्भ में आपको पहले निर्णय में फेरबदल करने का पूरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री खाडिलकर से सहमत नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय ही इसके बारेमें निर्णय करेंगे ।

श्री हाथी : दुर्भाग्यवश, कल अन्त में जो घटना हुई, उसके परिणामस्वरूप माननीय सदस्य अधिक समय चाहते हैं। अतः माननीय सदस्यों को इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करनी चाहिये। उनको इस मामले पर विचार करने का अधिकार है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पूर्ण-तया सभा के साथ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह राय है कि वित्त मंत्रालय की मांगों पर आज विचार न किया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इससे सहमत नहीं हूं। अधिकांश माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का समय बढ़ाया जाये परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वित्त मंत्रालय की मांगों को आज लिया ही न जाये। अन्य समय दिया जाना चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो वित्त विधेयक का कुछ समय दिया जा सकता है। मेरे विचार में माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की मांगों पर विचार ही न किया जाये।

श्री खाडिलकर : यह अच्छा नहीं लगता है कि एक ही दिन में तीन घंटे के अन्दर दो मंत्री वाद-विवाद का उत्तर दें जबकि सदस्यों को बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि समय-सारिणी को पुनः तैयार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को इस बारे में आपत्ति है। अतः हम अपने पहले निर्णय पर अमल करेंगे। माननीय गृह मंत्री २-०० म० प० बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है अतः इसे मतदान के लिये रखने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ३३८ के अन्तर्गत यह अवरुद्ध है।

श्री भागवत झा आजाद : हमें बिना सुने आप को कोई निर्णय नहीं देना चाहिये। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने हमारे प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इसके कारण वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय को कम नहीं किया जाना चाहिये। अतः इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल इस मामले पर विचार किया गया था। श्री मसानी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वित्त मंत्रालय की मांगों के लिये निर्धारित समय को कम नहीं किया जाना चाहिये। अतः सभा ने यह निर्णय किया था कि आज पांच म० प० बजे मांगों पर वाद-विवाद समाप्त हो जायेगा। यदि सभा सहमत है तो इन मांगों का समय ५-०० म० प० बजे तक बढ़ाया जा सकता है और ५-०० म० प० बजे शेष मांगों को मतदान के लिये रखा जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जी नहीं। क्योंकि इस प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने से वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की मांगों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। मैं इसे तभी स्वीकार कर सकता हूं जबकि वाद-विवाद ५-०० म० प० बजे समाप्त न किया जाये ताकि वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जा सके ।

श्री इन्द्रमल्लाल सर्राफ : कुछ महत्वपूर्ण विषयों का गलत अर्थ निकाला गया है, यदि उनका उत्तर नहीं दिया जायेगा तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मेरा श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी से भी अनुरोध है कि वे आपत्ति नहीं उठायेंगे क्योंकि वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की मांगों पर दो घंटे की चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के साथ हूं परन्तु श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को आपत्ति है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल श्री हरि विष्णु कामत ने यह सुझाव दिया था कि आगामी शुक्रवार के लिये निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित कर दिया जाये और वह समय मांगों पर चर्चा के लिये दे दिया जाये। परन्तु सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब भिन्न स्थिति पैदा हो गई है। माननीय संसद्-कार्य मंत्री को यहां बुलाया जाये और कल के सुझाव को स्वीकार किया जाये।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। वह सभा के समक्ष है, अतः उपाध्यक्ष महोदय के सामने उस पर मतदान करने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह अवरुद्ध है।

श्री भागवत झा आजाद : नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये। नियमों के अनुसार यही एक उपाय है कि इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The time should be extended and also made available to Members belonging to scheduled castes and scheduled tribes.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समय को बढ़ाने का प्रश्न है, कल सभा द्वारा इस पर निर्णय किया जा चुका है। ये सब बातें अध्यक्ष महोदय के सामने की जानी चाहिये थीं। प्रस्ताव नियम ३३८ के अन्तर्गत अवरुद्ध है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये नियम सभा द्वारा पास किये गये हैं अतः माननीय सदस्यों को उनका पालन करना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रस्ताव कल पास किये गये प्रस्ताव से भिन्न है। आप पहले यह विनिर्णय दे चुके हैं कि यह भिन्न है। अतः इसे मतदान के लिये रखा जाना चाहिये और हमारा भी आप से यही निवेदन है कि सभा को स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

श्री पालीवाल (हिण्डौन) : संसद-कार्य मंत्री को बुला लिया जाये और यदि वे सहमत हो जाते हैं तो हम इन मांगों पर एक दिन और चर्चा कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि सरकार शुक्रवार के लिये निर्धारित गैर-सरकारी कार्य को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करने के लिये सहमत हो जाती है तो यह समस्या हल हो सकती है। उस स्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है और आज वाद-विवाद समाप्ति का प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को सभा की यह प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिये जिस पर कि सदस्यगण मतदान के लिये आग्रह कर रहे हैं। अन्यथा मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : हम श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के सुझाव से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री के आने तक हमें प्रतीक्षा करना चाहिये। श्री संक्षियान।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : हम ने कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। समय कम होने के कारण मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के सरकार के हाल के प्रस्ताव से दक्षिण भारत तथा अन्य अहिन्दी भाषी इलाकों के लोगों में डर पैदा हो गया है । समूचे भाषा प्रश्न पर फिर से विचार किया जाना चाहिये। अहिन्दी भाषी लोगों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं इस सारे प्रश्न में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों आदि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत दिन से एक समस्या बनी हुई है ।

श्री भागवत झा आजाद : एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी कोई सदस्य आप से मिलना चाहता है तो मार्शल को बीच में नहीं आना चाहिये। सदस्यों को आप से न मिलने के लिये कहना उसके लिये उचित नहीं है। हम उसके इस प्रकार के व्यवहार के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं।

श्री सेंझियान : अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने ५ अप्रैल, १९५४ को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में एक संकल्प पास किया था। उसमें यह दिया हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये परीक्षाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहियें और उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं के लिये इनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए। यह संकल्प बहुत स्पष्ट है। मैं हिन्दी के प्रचलन के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु अन्य भाषाओं के प्रति भी वैसा ही व्यवहार क्यों न किया जाये जबकि संकल्प में उसे स्पष्टतः स्वीकार किया गया है।

२-५-१९५५ को ध्यान दिलाने वाले सूचना के उत्तर में गृह मंत्री श्री पंत ने सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा था और उसमें बताया था कि सरकार कांग्रेस कार्यकारी समिति के संकल्प के सिद्धान्तों का पालन करेगी। अब मेरा निवेदन केवल यही है कि सरकार उन सिद्धान्तों का पालन करे।

अब यह कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य भाषाओं को प्रचलित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है तो ऐसा आश्वासन क्यों दिया गया था और सरकार ने पहले जो निश्चय किया था उसका उसे पालन करना चाहिये।

संविधान सभा में भी जब यह प्रश्न उठाया गया था तो अहिन्दी भाषियों की ओर से इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। उड़ीसा के सदस्य श्री बी० दास ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिन्दी भाषी लोग आज से पंद्रह वर्ष बाद देश की सेवाओं में छा जायेंगे। श्री शंकर राव देव ने कहा था कि लोगों को आशंका है कि वे लोग जो वास्तव में उत्कृष्ट नहीं बल्कि एक विशेष भाषा में पिछड़े हुए हैं सचिवालय पर शासन करने लगेंगे।

यदि आप समझते हैं कि भारत में एक ही भाषा हो और अन्य प्रादेशिक भाषाएं चाहे उनका भूतकाल कैसा भी रहा हो समाप्त हो जाएं तो आप उन भाषाओं की स्थिति को स्पष्ट कर दें।

मेरी आशंकाएं कल्पित नहीं हैं। हिन्दी का माध्यम अपनाने से दक्षिणमें अनेक आशंकाएं पैदा हो गई हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय वैदेशिक सेवाओं की परीक्षाओं में जो तीन वैकल्पिक विषय हैं उन में हिन्दी को भी स्थान दिया गया है किन्तु प्रादेशिक भाषाओं को उनमें नहीं रखा गया। १९६२ की परीक्षाओं के परिणाम का विश्लेषण करते हुए मैंने देखा है कि हिन्दी के छात्रों को सर्वाधिक प्रतिशत अंक दिये गये हैं अर्थात् गणित में २८ प्रतिशत है तो अंग्रेजी में ३६

[श्री फेझियान]

प्रतिशत और हिन्दी में ४६ प्रतिशत। इन परीक्षाओं में १० प्रतिशत का अन्तर बहुत अधिक है। इस तर्क का कोई लाभ नहीं कि किसी राज्य के लोग अधिक प्रतिभाशाली हैं और वे किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। उत्तीर्ण छात्रों की हाल की सूची में दक्षिण के केवल १५ या २० उम्मीदवार हैं। क्या अकस्मात दक्षिण की प्रतिभा इस प्रकार कुंठित हो गई है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय मंत्री को इस सारे मामले पर पुनः विचार करना चाहिये। नौकरी के सम्बन्ध में सब को समान अवसर मिलने चाहियें और जिस बात का प्रचार किया जाता है उसे कार्यान्वित करना चाहिये और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों को देश में उपयुक्त स्थान देना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : श्रीमान् जी, जब आप उपस्थित नहीं थे तो इस का समय बढ़ाने के लिए कहा गया था। उपाध्यक्ष महोदय का कहना था कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि पहले निर्णय हो चुका है। बहुत कहने पर उन्होंने सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे फिर वापस ले लिया। आप कृपया विनिर्णय दें कि क्या इस प्रकार अध्यक्ष स्वयं प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं।

श्री खाडिलकर (खेड) : समझौते के तौर पर यह निश्चय किया गया था कि ५ बजे तक चर्चा हो और उस के बाद गिलेटीन लागू किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं क्योंकि कल निश्चित निर्णय किया गया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरी आपत्ति यह है कि कुछ सदस्य चर्चा का समय बढ़ाना चाहते हैं। किन्तु इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद निर्णय किया गया था। अब उस निर्णय को बदलना है ताकि कल गिलेटीन लागू किया जाय। यदि अब बहुमत से यह निर्णय कर लिया गया और वित्त तथा योजना जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा का अवसर न दिया गया तो यह अल्प संख्यक सदस्यों के प्रति अन्याय होगा।

श्री भागवत झा आजाद : हम इस में बहुमत का नियम लागू नहीं करना चाहते। श्री द्विवेदी भी गृह मंत्रालय की चर्चा का समय बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे। उन का अभिमत यही है कि वित्त तथा योजना मंत्रालयों के लिए नियत समय में कमी नहीं होनी चाहिये। हमारा आप से निवेदन है कि पहले की तरह कोई सूत्र बनायें जिससे हमें ५ बजे तक दो और घंटे मिल जायें।

दूसरे मैंने कहा था कि नियम के उल्लंघन के लिये सभा को उत्तरदायी न बनाया जाए।

श्री प० ना० कयाल : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है। सभा गृह मंत्रालय पर और चर्चा करना चाहती है यदि उसका अवसर न दिया गया तो हम मांगों के पक्ष में मतदान कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा सदा स्वयं आत्मसंयम करती है । यदि सभा समय चाहती है तो वह न मिलने पर मतदान कैसे हो सकता है । किन्तु ५ बजे गिलेटीन लागू करना है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि सभा का मत है कि समय बढ़ाया जाय तो वित्त विधेयक को पारित करने की २१ तारीख में कोई गड़बड़ नहीं होती । गैर सरकारी संकल्प बुधवार को ले लिए जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं । सभा जो निर्णय करे उस का अनुसरण किया जायगा । किन्तु ऐसा न हो कि सभा को सनकी समझा जाय कि कल उसने जो निर्णय किया उसे आज बदल रहे हैं । नियमों के अनुसार एक ही सत्र में किये गये निर्णय को पुनः बदला नहीं जाता । दो घंटे का समय देने पर भी कठिनाई बनी रहेगी । वित्त विधेयक की चर्चा में भी वही भाषण दिये जा सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सभा सर्व प्रभुत्व सम्पन्न है और वह अपने निर्णय को बदल सकती है । अतः ढाई घंटे का जो समय गैर-सरकारी संकल्पों के लिए है वह बुधवार २२ तारीख के लिए रख दिया जाय । इस प्रकार हम कल सारा दिन वित्त और योजना पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : कल श्री कामत ने समझौते का एक सुझाव दिया था । वही ठीक सुझाव है और सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : निर्धारित समय के अनुसार गृह मंत्रालय की मांगों की चर्चा ३-३० या ४-०० बजे समाप्त होनी चाहिये । यदि यह मांग है कि ५ बजे गिलोटीन लागू किया जाय तो वैसा किया जा सकता है । सभा को अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : उन की प्रार्थना है कि आज ५-३० बजे गृह मंत्रालय की चर्चा समाप्त की जाय और कल सारा दिन वित्त मंत्रालय पर चर्चा की जाय ।

श्री सत्य नारायण सिंह : इस का अभिप्राय है कि ५ घंटे और चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा का यह मत है कि गृह मंत्रालय की चर्चा ५ बजे तक रखी जाय और ५ घंटे का समय और लिया जाय ।

कुछ माननीय सदस्य : हां श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार हमें १७½ घंटे का समय चाहिये । गैर-सरकारी सदस्यों को ढाई घंटे का समय लेने पर ढाई घंटे की कमी रह जाती है । वह कैसे पूरी होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुक्रवार की बजाय अगले बुधवार को लिया जाय और शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को ६ बजे तक बैठक की जाय ।

अध्यक्ष महोदय : तो यह निश्चित हो गया कि वित्त विधेयक को १५½ घंटे का समय दिया जायेगा और गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों को अतिरिक्त समय देने के लिए अधिक समय तक बैठक होगी । गिलोटीन कल लागू किया जायगा ।

पहले नियम ३३८ के निलम्बित करने के लिए प्रस्ताव रखा जाय और फिर नियम २०८ को निलम्बित करने के लिए ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३३८ को अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान का समय बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३३८ को अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान का समय बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २०८ के उप-नियम (२) को अनुदानों की मांगों सम्बन्धी सब शेष मामलों के आज निबटाये जाने पर लागू होने से निलम्बित किया जाये और अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के समय को १६ अप्रैल, १९६४ तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २०८ के उप-नियम (२) को अनुदानों की मांगों सम्बन्धी सब शेष मामलों के आज निबटाये जाने पर लागू होने से निलम्बित किया जाये और अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के समय को १६ अप्रैल, १९६४ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को शाम के ४–३० बजे बोलने के लिये कहूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Since the advent of freedom it has been seriously considered to remove the influence of the British civilization. Madhya Pradesh Government appointed Niyogi Commission to investigate as to how the Christian missionaries were spending crores of rupees for converting the tribes to christainity. Similarly a Committee was set up by Madhya Bharat.

I cannot say whether the suggestions made these committees were implemented or not. Nagaland has been created on this very background and the expenditure of crores of rupees by a team of a thousand missionaries in India, is a challenge to the religious, culturol and social life of the people here. The history of thousands of years is a witness to the fact that the majority community of India has neither forced anybody for conversion nor has even attacked other country for the sake of proselylization. But the foreign missionaries are placing such picture of India to the people abroad that it brings bad name to the majority community. I submit that the time has come when ban should be imposed on the foreign missionaries.

Moreover the Anglo Indian Community in India works under the influence of those missionaries. There should be a check upon them. The fact is evidenced by the poisonous speech delivered by a member yesterday. That speech was broadcasted by B.B.C. and the Pakistan Radio. President of India should be approached with the request that in future no member should be nominated for Lok Sabha.

The Home Minister has visited Assam and has himself seen the situation there. Theer he received memoranda from several parties that some of the members of the Cabinet of Ministers of Assam and some high official are helping the infiltrants from Pakistan. At last Government have now themselves accepted that the number of these infiltrants is 2 lakhs 20 thousand through I can emphatically say that they are more than 7 lakhs. The eviction of these infiltrants is so slow that the Government of Assam would take 42 years to expel them all and by that time their number would be double. I am afraid Assam may not become another Kashmir. Shri Nanda should curb this evil in time.

Indians have not only been displaced from East Pakistan but because of the weakened policy of India they are being displaced from Burma, Ceylon and Africa as well. In tragic event of East Pakistan are fresh and a permanent solution of the problem should be worked out without carring as to what would be the opinion of other countries. We should urges upon the Government of Pakistan that they should give land for settling the people. who have come here as refugees from Pakistan.

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : श्रीमान्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य पूर्वी बंगाल से भारत में आने वाले लोगों की ओर निदेश करते समय पाकिस्तानी प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु भारत के मुसलमानों को बीच में लाना उचित नहीं है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका उल्लेख किया जा सकता है । संविधान के अन्तर्गत, कोई भी माननीय सदस्य भारतीय मुसलमानों के भारत में रहने और उन को संविधान में वही स्थान तथा अधिकार, जोकि भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं, दिये जाने के बारे में आपत्ति नहीं कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ पाया हूं, माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि वहां से काफी बड़ी संख्या में लोग भारत में आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र भारत को देने के लिये कहना चाहिये ।

श्री बदरुद्दुजा : उन्होंने भारत के मुसलमानों की ओर निदेश किया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह कहा था कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाये ।

श्री बदरुद्दुजा : उन्होंने ठीक यही कहा था ।

Shri Prakash Vir Shastri : My suggestion was very clear. I would have been very happy if Shri Badrudduja would have mentioned in his speech that the treatment meted out to the Hindu population in East Pakistan was wholly undesirable. He should also have condemned the actions of certain Muslims in Calcutta city itself. The Pakistani High Commssioner in India and the Muslims of India have not raised their voice even once against such kind of things there in Pakistan, in spite of a request in this connection. But when we talk of expelling the large number of infiltrators who have settled in West Bengal, Assam and Tripura to accommodate our unfortunate brethern from East Bengal, these Muslim friends make a hue and cry.

I had asked a question whether Sheikh Abdullah was released under pressure from outside and Government had categorically denied it, whereas Shri Chagla in his statement in Patna 3 days ago admitted that there was some pressure from America. I do not want to go into this controversy. When Kashmir Asembly was in session, the Prime Minister of that State could have been asked to introduce a motion to abrogate Article 370 of the Constitution, before releasing Sheikh Abdullah. Parliament was also in session and in the wake of national emergency, this could have been easily done. Then Shaikh Abdullaha's venomous statements would not have been so dangerous for the country as well as the Kashmir valley. This is the result of lack of fore sight on the part of the Government. He has been released after colossal waste of public money on the conduct of his case in court of law, and that too before the full hearing of the case. The Government should categorically state as to who was responsible for the release of Sheikh Abdullah. His release was given wide prublicity and invitations were extened to him from Delhi. All these things were highly objectionable in his case. Sheikh Abdullah has been making different statements at different places, because there is a conflict in his mind. He will say different things when he reches Kashmir valley. If Government bows to his request and makes Kashmir an independent State, it would be doing a great disservice to the country, to the thousands of gallant soldiers who have laid down their lives in the defence of Kashmir Valley. We cannot defend Laddakh, in case Kashmir is lost to India. The Prime Ministers' love and affection for Sheikh Abdullah should not come in the way of the country. We cannot sacrifice the country and the valley of Kashmir for the sake of their friendship.

After the illness of the Prime Minister the decision-making capacity of the Cabinet has received a set-back. The release of Sheikh Abdullah is a pointer in that direction. Favourable atmosphere is being created for Sheikh Abdullah by some of the statements that have been made here, by some members like Shri Frank Anthony. This weak Government will not be able to resist them. The Prime Minister should not be misled by some greedy elements in the party and outside and should entrust the Prime Ministership to a capable man in his very life-time. After the death of Gandhiji, the masses do not have a strong popular leader to guide them. The Prime Minister should abjure the leadership of the Government and fill the vacuum created by the death of Mahatma Gandhi. It would be beneficial for his health as well as the country.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): श्री नन्दा को गृह-कार्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा है। कलकत्ता में हुए उपद्रवों को दबाने में उन्होंने जो योग दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्त में आस्था ही नहीं रखती, अपितु उसका पालन करने के प्रति भी जागरूक है। इन सब बातों के होते हुए भी किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि प्रत्यक भारतीय मुसलमन को यहां पर जीवन का खतरा बना रहता है, संसद् का राष्ट्र का अपमान करने के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा है कि सारे हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के हैं। श्री कामत तथा अन्य काफी सदस्य कल अनुपस्थित थे जब उन्होंने यह आरोप लगाया था कि समस्त राजनीतिक दल साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित हैं। हम एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, परन्त कांग्रेस या अन्य विरोधी दल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दल राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाये। यहां तक कि एक पृथक मंत्रालय भी स्थापित कर दिया गया है। हमने राष्ट्रपति अयूब को एक संयुक्त वक्तव्य जारी करने के लिये कहा है परन्तु वे एसा करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद भी, गृह मंत्रियों के सम्मेलन का सुझाव पेश किया गया; वह कांफ्रेस हुई और हमने बहुत ही उदार दष्टिकोण अपनाया। इन सब बातों के होते हुए भी यदि ऐसी निराधार बात कही जाती हैं तो यह पाकिस्तान की वकालत अथवा प्रचार ही है।

अध्यक्ष महोदय : "पाकिस्तान की वकालत" शब्द कहना उचित नहीं है।

श्री भगवत झा आजाद : यदि ऐसी बात है तो मुझे खेद है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार की बात कहना राष्ट्र का अपमान करना है। सरकार को ऐसे व्यक्तियों को इस सभा के लिये नामनिर्देशित नहीं करना चाहिये।

श्री भुट्टो ने अपने वक्तव्य से सिद्ध कर दिया है कि पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को निकालना पाकिस्तान सरकार की संगठित नीति है। उन्होंने कहा है कि भारत से अल्पसंख्यकों के निकाले जाने से पाकिस्तान की जनता पर गम्भीर प्रभाव पड़ाहै और इसी कारण अल्पसंख्यक लोग पूर्वी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं। यह पूर्णतया असत्य बात है। सरकार को ऐसी असत्य बातों का खण्डन करना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री द्वारा पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री के साथ हुए सम्मेलन में रखे गये प्रस्तावों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने के लिये कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे देश की स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो जाये। हम भारतीय मुसलमानों की भावना को किसी प्रकार भी ठेस पहुचाना नहीं चाहते। वे भी हमारे समान ही भारत के नागरिक हैं। परन्तु हमें भावुकता में आकर विदेशियों को आसाम में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिये ताकि देश की सुरक्षा को खतरा पैदा न हो सके। अवैध रूप से आसाम में बसे हुए पाकिस्तानियों को ३१ मार्च, १९६५ तक भारत से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये जैसा कि आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा पास किये गये संकल्प में कहा गया है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति दस वर्ष से सरकार को धोखा देकर भारत में रह रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह भारतीय नागरिक बन गया है। १९५१ की जनगणना को आधार मान कर चलना चाहिये। इन व्यक्तियों की सुनवाई के लिये यदि आवश्यकता हो तो न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि जल्दी से जल्दी इन पाकिस्तानियों को भारतीय भूमि से खदेड़ा जा सके। मैं आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति की इस मांग का भी समर्थन करता हूं कि शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय को बन्द कर दिया जाये।

[श्री भगवत झा आजाद]

माननीय मंत्री इस बात के लिये भी बधाई के पात्र हैं कि उनके मंत्रालय ने पवित्र बाल की खोज में बहुत योग दिया है। अपराधियों का पता लगाने में मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है हालांकि उन्हें दंड देने में वह असमर्थ रहा है। फिर भी लोगों को यह विश्वास हो गया है कि वह पवित्र बाल असली है। और उसके लिये गृह-कार्य मंत्री बधाइ के पात्र हैं।

सरकार को शेख अब्दुल्ला को रिहा करने से पहले उसके विचार जान लेने चाहिये थे। परन्तु एसा किये बिना उसे छोड़ दिया गया है जिसका परिणाम हमारी आंखों के सामने है। गृह-कार्य मंत्री को इस मामले में सावधान रहना चाहिये और एक शेख को काश्मीर में अशान्ति पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यदि शान्ति बनाये रखने के लिये उसे समुद्र तट या किसी अन्य स्थान पर बन्दी रखना जरूरी हो जाये तो गृह-कार्य मंत्री को ऐसा करने में संकोच नहीं करना चाहिये।

पेटरसन की 'पेकिंग वर्सेस दिल्ली' पुस्तक के सरकार द्वारा अवैध घोषित किये जाने से श्री मसानी को बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने अपना सारा भाषण उसी पुस्तक तक सीमित रखा है। उनको यह दुख होना स्वाभाविक है क्योंकि वे प्रत्येक विदेश वस्तु से प्रेम करते हैं--जैसे विदेशी विनियोजन, विदेशी सरकारें, विदेशी पुस्तके, आदि। मुझे उस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी है। उसमें झूठी बातों के सिवाय कुछ नहीं है और उससे राष्ट्र का चरित्र गिरता है। हालांकि उस पुस्तक में तटस्थता की नीति का समर्थन किया गया है परन्तु वह ऐसी बातों से परिपूर्ण है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा निराधार हैं। अतः सरकार को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिये।

योजनाओं की कार्यान्विति आशाजनक ढंग से इस कारण नहीं की जा सकी क्योंकि प्रशासन समाजवादी समाज पर आधारित योजना को कार्यान्वित करने में असमर्थ है। भ्रष्टाचार कई प्रकार का है। यह सन्तोष का विषय है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिये सतर्कता आयोग नियुक्त कर दिया गया है। इस आयोग को न केवल सरकारी अधिकारियों अपितु उद्योग-पतियों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के मामलों की जांच करने का अधिकार होना चाहिये। गांवों के लोगों का उच्चाधिकारियों से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। उनका ताल्लुक पुलिस के सब-इंस्पेक्टर, ब्लाक विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवकों से पड़ता है। उन्हें अपना कोई काम करवाने के लिये इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि एक प्रशासनिक सुधार मंत्रालय बनाया जाये जो इस प्रश्न की जांच करे कि सुधार किस प्रकार किये जाय। जबतक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक हम भ्रष्टाचार समाप्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

Shri J. P. Jyotisihi (Sagar) : The determination with which communal disturbances have been put down in spite of grave provocations confirms the fact that the Government and the people of this country have unflinching faith in secularism. A friend of mine who has not much experience of the people of this country said that the Muslims of India live under sombre shadow of death.

I can say on the basis of my association with lakhs of Muslims of this country that not even a single Muslim is unsafe in India. The people of this country have taken a vow to put to death the demon of communalism in this country and we wish that all rightthinking friends should cooperate with us in this endeavour. We wish that the people of this country are notprovoked by communal disturbances in Pakistan, but it is but natural that the common man can not resist this provocation and some stray incidents take place. But to degrade the nation in the eyes of the world by making a mountain of a mole hill is nothing short of treason against the cleuntry. When Shri Frark Anthony has courage

to use such a language in the House and can talk with us and sit among us peacefully, how does he think that the minorities are unsafe here ? Shri Badrudduja also has every freedom here. When Government has been taking steps to implement its policy ofsecularism with firm determination, it would have been proper if they had cooperated with the Government in creating healthy atmosphere for that in the country.

Our Government has been forced to evict the Pakistani infiltrators from Assam under pressure of population. It has constituted tribunals to go into these cases, because we do not intend to harass Indian Muslims. They have every right to be in India, but we cannot bear any pressure from outside. We should not relax in our efforts to evict Pakistani infiltrators from India, who can be a danger to our security and can create explosive situation here, whether by doing so we incur the displeasure of Pakistan or of Shri Frank Anthony.

The incidents of Rourkela and Tata nagar should not be allowed to recur in futue, because these incidents provide material to other countries to point their finger at us. We invite the various parties in the country to rethink over the question of their political ideologies, because for the real advancement of the country, it is imperative that secularism should be brought about with a firm hand in this country.

We know very well who is behind all these happenings in the Kashmir valley. They were responsible for the division of the country and now they are bent upon creating another explosive situation in this country. The decision of the Kashmir people to accede to India was a wise one. The people of Kashmir did not want to be ruled by the ruthless bosses of West Pakistan as they are ruling over the people of East Pakistan. This very thing prompted Sheikh Abdullah to advocate before the Security Council that the Kashmiris have acceded to India, which was a wise decision. After his release from jail he has been saying strange things, because of the anger he has been entertaining in his mind ever since his arrest. But it is possible that he may change his attitude after fully realising the present situation. The people of Kashmir have on the other hand been showing less and less interest in his speeches since his release. I warn the Government to be on the alert against a possible danger on our borders both Kashmir and Assam borders because the whole border is on the brink of a disturbing and explosive situation. It would be better if a Commission is appointed to bring all the border areas direct under President's rule. An advisory Committee, consisting of well-informed persons should be entrusted with the task of governing those areas.

Corruption is a serious blot on our country, which is founded on morality and good behaviour. The Vigilance Commission set up by the Government should enquire into cases of corruption against highly placed persons. In case any such person is found guilty, severe punishment should be awarded to him. The commission can be given greater powers to deal with such cases or a new tribunal can be set up, if need be. Government should see that the corruption prevalent among highly placed persons is put an end to.

So far as the language issue is concerned, the people of the south feel that Hindi is being imposed upon them. But they should realise that the administration cannot be carried on in a foreign language indefinitely. It does not behove us. To take democracy to every home, to make our voice reach the people and to create their interest in democracy, it is necessary that we develop the national language. It was said in the house just now that by giving option

[Shri J. P. Jyotishi]

to use Hindi in I.A.S. examinations, inconvenience would be caused to non-Hindi speaking people. When we have accepted Hindi as our national language we should not raise such controversies. When the non-Hindi speaking people can attain proficiency in English, these days are not far off when they will attain the same profficiency in Hindi as well.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मेरे सहयोगी श्री दाजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पर्श किया है। यह ऐसा प्रश्न है जो यद्यपि भी साधारण सा प्रतीत हो परन्तु इसका महत्व बहुत अधिक है। यह मामला पुलिस की जांच पड़ताल से सम्बन्ध रखता है जो कि सरकारी नौकरी में आने पर किसी भी व्यक्ति की होती है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय की हिदायत कि ये जांच पड़ताल की जाय। सिद्धान्त रूप में इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु इस जांच पड़ताल के पर्दे के नीचे पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। एक उम्मीदवार सब बातों को पार कर लेता है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी पास कर लेता है। पर वह काफी देर तक प्रतीक्षा करता रहता है कि उसकी नियुक्ति हो, परन्तु उसकी नियुक्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है यह उसे पता नहीं लगता। कुछ समय बाद पता चलता है कि पुलिस की रिपोर्ट उसके पक्ष में नहीं थी। इस तरह राजनीतिक भेदभाव के कारण लाखों लोगों का जीवन सरकार द्वारा तबाह कर दिया गया है। इसमें उम्मीदवारों का कोई दोष नहीं होता। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों तक है जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये परन्तु उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी।

इस तरह से जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन में से कइयों ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया परन्तु लोगों के बीच बचाव से उनकी जान बच गयी। मेरे विचार में इस पुलिस की छानबीन को लेकर पदासीन दल के लोग लोगों से पुरानी शत्रुता निकालते हैं। जब हमारी सरकार के तो राज्य में किसी भी कांग्रेसी को परेशान नहीं किया गया था। ऐसा एक भी मामला हमारे सामने नहीं लाया जा सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस प्रकार की बातें वह दल करता है जो कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देता है। उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिये हैं कि कोई खुल कर अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर पाता। यहां तक कि खास विचारधारा में विश्वास रखने वालों के बेट बेटियों को भी नौकरी नहीं मिलती। यह ठीक है कि आज यह व्यवहार साम्यवादी दल से होता है तो कल अन्य दलों के साथ भी होगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न उन सब दलों का सामान्य प्रश्न होगा जो कि इस देश में लोक-तन्त्रीय परम्पराओं का निर्माण करना चाहते हैं।

मैं इस बारे में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में कोई निर्देश जारी किये हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस बारे में एक बार कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार ने कोई नियम बना लिये हों तो पता नहीं। हमें इस बारे में पता लगना चाहिये कि वास्तविक स्थिति क्या है। यदि केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम मामले को राज्य सरकार के स्तर पर लेंगे। यह ऐसा प्रश्न है जो कि सैकड़ों लोगों को परेशान कर रहा है। यदि हालात इसी तरह रहे तो लोगों को इस तरह के आतंक का मुकाबला करने के लिए कुछ करना ही होगा। क्योंकि यदि इस रोग का कोई उपचार न हुआ तो देश में लोकतंत्र असम्भव हो जायेगा।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : देश की प्रभुसत्ता का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यह प्रश्न पूर्वी बंगाल की सीमा से लेकर काश्मीर की सीमा तक बार-बार पूछा जा रहा है। आज हमारी प्रभुसत्ता को खतरा पैदा हो रहा है, अतः हम पूर्व के हों अथवा पश्चिम के हों अथवा उत्तर के, हमें देश की प्रभुसत्ता की रक्षा तो करनी ही है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले स्थापितों की ओर आपका बहुत अधिक ध्यान जा रहा है। दोनों ओर से गृह मंत्रियों की बैठक भी हो चुकी है परन्तु कोई निश्चयात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी। पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री ने असली बात पर बातचीत को केन्द्रित ही नहीं किया। वह तो घुसपैठ और घुसपैठ करने वालों को निकालने की समस्या पर ही मुख्यतः विचार करते रहे। पता नहीं हम इसे किस प्रकार सहन करते रहे, क्योंकि वास्तविक बात तो पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों के बारे में थी। उनका वास्तव में मतलब यह था कि जिम्मेदारी से बचा जाय। हमने वार्ताओं में ही तो नहीं पड़े रहना, उन हजारों लाखों लोगों के प्राणों का भी तो ध्यान करना है जो आज आश्रय लेने भारत में आ रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को उन्हें बसाने के लिये भूमि मांगनी चाहिये ।

काश्मीर की समस्या भी हमें परेशान कर रही है । शेख अब्दुल्ला मुक्त हो गये हैं और कहा जा रहा है कि काश्मीर हमारे पास नहीं रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में सरकार को अपनी नीति में कोई तबदीली नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों में किसी प्रकार के सन्देह न रहने पाये । पांच करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ तो संरक्षण होने चाहिएं । इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि काश्मीर इस देश का अभाज्य अंग रहेगा । आपने भी उपाध्यक्ष महोदय एक बार यह कहा था कि काश्मीर को कोई शक्ति भारत से अलग नहीं कर सकती । हमें युद्ध विराम रेखा पर तथा पाकिस्तानी घुसपैठ पर जागरूक रहना है ।

कुछ दिन हुए श्री माथुर ने कहा था कि हमें जो स्वतन्त्रता मिली है, वह गत १७ वर्षों से नौकरशाही के ही काम आ रही है । देश के लोगों के कामों तथा नौकरशाही के काम में समुचित समन्वय होना चाहिए । नौकरशाही के हाथों में राज्य नहीं रहना चाहिए । नौकरशाही को लोकतंत्रीय तत्वों के साथ होकर चलना चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो देश के सामान्य व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा । इस बात का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रशासन से देरी और अयोग्यता को तुरन्त निकाला जा सके । जो विदेशों में दूतावासों के लिए चुने जाते हैं उनके चुनाव को बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए । ऐसे लोग चुनने चाहिएं जिनमें भारत की वास्तविक स्थिति को चित्रण करने की क्षमता हो और देश की पुरानी परम्पराओं की जानकारी रखते हों । आखिर इन्हीं लोगों के द्वारा ही तो भारत बाहर की दुनियां में पहुंचता है । आजकल जो लोग दूतावासों में काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है ।

ऐसा लगता है कि पदासीन दल मंत्रियों को समुचित समय पर कुछ कार्यवाही करने का निदेश नहीं देता। मेरे विचार में उप प्रधान मंत्री की नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। मेरे विचार में यह कहना कि कुछ लोगों को इसलिए लोक सेवा आयोग में नियुक्त किया गया क्योंकि वह गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को काफी अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं ताकि वह ठीक ढंग से काम कर सके। मैसूर के सरकारी कर्मचारियों की अन्तर्वरिष्ठता के बारे

[श्री वासप्पा]

में भी कुछ निर्णय कर लिया जाना चाहिए । मेरे विचार में मंत्रालय को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए कि वह सभी समस्याओं को ठीक ढंग से सुलझाने में समर्थ हो सके ।

Shri S. L. Verma (Sitapur): It is really a matter of great regret that 17 years have passed since we attained Independence and we have not been able to solve the Kashmir problem. In 1947 the Pakistani intruders made an attack on Kashmir and captured its major portion. They are still keeping that area in their possession. They call it Azad Kashmir.

Recently Sheikh Abdulla was released from jail, we have warmly welcomed it. Immediately after release he began giving some speeches and statements. Those speeches and statements speak of his mind and are quite opposed to the basic policy of the Government of India regarding Kashmir. Sheikh Abdulla perhaps desires that Kashmir should either remain independent or go to Pakistan. Several times it has been stated from the Government benches that article 370 will be abrogated, but nothing has been done in this connection so far. In my opinion if the Government had taken steps to abrogate article 370 of the Constitution, there would not have been all those difficulties which we are facing to day. Sheikh Abdullah's speeches were very clearly anti-national and only express a pro-Pakistan approach. The Government must be vigilant about the possible repercussions of his speeches and statements. I also don't approve of Prime Minister's invitation to him to stay with him.

There are some gangs of dacoits in Rajasthan and Madhya Pradesh, but our policy have became unfit to deal with them. Pakistan spies are very active in the whole country. It is really very unfortunate that our intelligence department had not been able to do much to detect their activities. It is very necessary that strong measure be adopted to deal with such elements.

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
MR. KHADILKAR *in the Chair*)

There is a good deal of corruption prevalent in Delhi Police. No work done without receiving illegal gratification. I would urge upon the Government that firm and effective steps be taken to deal with corruption in the Police. Together with that I would submit that the police people are very much low paid. The police constable gets only 60 or 65 rupees per month. I think this salary should be raised to 120 or 125 Rupees, the salaries of the police people should be uniform in all the states of the country.

The Home Ministers' Conference has met with a failure, now I urge upon our Home Minister not to go to Rawalpindi for further talks. The attitude of Shri Frank Anthony shows that there are sufficient number of Pakistani agents in this country. We will not tolerate this. Shri Homi Dazi has also said something mischievous against Guruji, which is intolerable.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): आज देश को एक ओर तो बाहरी आक्रमणों का खतरा है और दूसरी ओर देश में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो देश के लिए खतरनाक हैं । आंतरिक खतरों में एक खतरा औद्योगिक क्षेत्र में पैदा हो गया है । सरकार को चाहिए कि बिना उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़े उद्योगों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

शेख अब्दुल्ला को रिहा करके सरकार ने जानबूझ कर खतरा मोल लिया है। शेख अब्दुल्ला द्वारा अब तक दिये गये वक्तव्यों से यह बात साबित होती है कि वह देशद्रोह के अपराधी हैं क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार भारत से सम्बन्ध विच्छेद करने की मांग करना देशद्रोह का अपराध है। इस समय भारतीय दंड संहिता काश्मीर पर लागू न होने के कारण शेख अब्दुल्ला पर देशद्रोह का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। अतः मंत्री महोदय को इस बात के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए कि दण्ड संहिता के कम से कम संबंधित भाग को काश्मीर पर लागू किया जाये।

यदि सरकार पूर्ण रूप से एकीकरण चाहती है तो एकीकरण के सभी क्षेत्रों में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। गोवा में देश विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए उसको महाराष्ट्र राज्य में शीघ्र मिलाया जाना चाहिए।

राज्यों के पुनर्गठन के समय तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि एक दूसरे से मिले हुए राज्यों के सीमा सम्बन्धी झगड़े निर्धारित सूत्र के अनुसार सुलझाये जायेंगे। किन्तु महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा संबंधी विवाद बहुत समय से अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इसे हल करने के लिये निर्धारित सूत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। देश के अन्दर राज्यों के बीच इस प्रकार के सीमा विवाद इतने लम्बे समय तक अनिर्णीत पड़े रहना दुःख की बात है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर दबाव डाले कि वे मिलकर शीघ्र सीमा विवाद हल कर लें।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): हजरत बल दरगाह से पवित्र बाल की चोरी के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति को प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी बड़ी कार्यकुशलता से हल करने के लिए मंत्री महोदय तथा उनका मंत्रालय दोनों ही बधाई के पात्र हैं। गृह मंत्रालय के आश्चर्य-जनक कार्य की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। यहां तक कि काश्मीर में 'एक्शन कमेटी' ने, जिसमें शेख अब्दुल्ला के साथी भी हैं, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके मंत्रालय के कार्य की सराहना की है।

शेख अब्दुल्ला की रिहाई एक सराहनीय कदम है। शेख अब्दुल्ला ने रिहाई के बाद जो कुछ भी वक्तव्य दिये हैं उनके संबंध में चिन्ता की बात नहीं है। वह कई वर्षों के कारावास के बाद रिहा किये गये हैं इसलिये उनका इस प्रकार के वक्तव्य देना स्वाभाविक है। मेरा उनसे तीस वर्ष तक संबंध रहा है और मैं उनके स्वभाव से परिचित हूं। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के बाद शेख अब्दुल्ला के विचारों में परिवर्तन हो जायेगा। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि काश्मीर की हिन्दू, मुसलमान, तथा अन्य सारी जनता भविष्य में पैदा होने वाली किसी स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करने के लिये तैयार है। केन्द्रीय सरकार को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए। शेख अब्दुल्ला की देश को हानि पहुंचाने वाली कार्यवाहियों का हम काश्मीरी लोग मुकाबला कर लेंगे।

यह दुःख की बात है कि श्री एंथनी ने कल सभा में भारत सरकार तथा भारत के बहुसंख्यक लोगों की निन्दा की है। उन्होंने जो कुछ भी आरोप लगाये हैं वे बिलकुल निराधार हैं। वास्तविकता यह है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है। सभी धर्म के मानने वालों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकार समान रूप से सब के हितों की रक्षा करती है। हम पाकिस्तान की नीति का अनुसरण करके अल्पसंख्यकों को देश से निकालना नहीं चाहते हैं।

Shrimati Ram Dulari Sinha (Patna): I congratulate Ministry of Home Affairs for having Shri Nanda as Minister. Home Minister's importance can be judged from the fact that it influences policies in respect of other ministries. He has done wonderful service for the workers of the country and India is proud having such a minister.

He will be regarded successful only when he succeed in bringing about socialism and removing economic unequalities. Today Kashmir is the burning problem. A high Official of Pakistan told John Strechy a labour M.P. of Britain that in the event attack on Pakistan, they would not sit idle. I want the same kind of assurance from Home Minister about Kashmir. Every part of Kashmir is a part of India and will be safeguarded. Shri Nanda should give this assurance at this moment.

Shri Nanda has succeesfully tackled communal disturbances and has shown to the world that we protect minority Communities. I ask why we are getting bitter results inspite of sweet actions. Today Pakistan is committing atrocities on our children & ladies. I want to know what success has been achieved by Home Ministers' Conference. The simple problem of eviction of illegal Pakistanis from Assam could not be solved. What action has been taken on the reports of Dhebar Commission, and Jai Prakash Committee with regard to minimum annual per capita income being Rs. 1250 ? What action has been taken for bringing socialism ? There is vast difference between salary structures of officers and employees. A new class of officers has been created which is against the principles of Indian democracy.

श्री कोया (कोजीकोड): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस के लिये मैं आपका आभारी हूं. . . . . .

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

सभापति महोदय : मैं निर्धारित समय के अन्दर अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं । फिर भी सदस्य अन्तर्बाधायें पैदा कर रहे हैं जब कि उन्हें व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहयोग देना चाहिए । प्रत्येक सदस्य को अवसर दे सकना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता है ।

श्री कोया : कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में हुए दंगों को दबाने में सरकार ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है ।

कलकत्ता में हुए दंगे पाकिस्तान के दंगों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं कहे जा सकते । ये पूर्वायोजित ढंग से किये गये । वहां पर बड़ी संख्या में निरपराध अल्प संख्यक बेघर हो गये हैं । सरकार को इन बेघर लोगों को फिर से उचित ढंग से बसाना चाहिए और इन दंगों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । हमें भारत–पाक संबंधों में सुधार करने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : बिना विभाग के मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि गोआ, दमन और दीव के गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन लाने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस प्रस्ताव का सब से अधिक विरोध

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की ओर से होगा चूंकि कुछ निहित स्वार्थ इन द्वीपों के उस मंत्रालय के अधीन रखने का प्रयत्न करेंगे । स्वयं उस संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर भी ऐसे निहित स्वार्थ हो सकते हैं जो इस प्रस्ताव का विरोध करें । आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रस्ताव को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय ताकि निहित स्वार्थों को पनपने का अवसर ही न मिले ।

श्री प० ना० कयाल (जयनगर): भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि लोगों की अनुचित आवश्यकतायें बढ़ रही हैं और इस के लिये यह मंत्रालय उत्तरदायी है । जहां तक साम्प्रदायिक स्थिति का प्रश्न है साम्प्रदायिक दंगे पाकिस्तान की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही होते हैं इसलिये इस मामले में गृह-कार्य मंत्रालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

दूसरी समस्या विधि तथा व्यवस्था की है । आज हम देखते हैं कि एक भी पुलिस अधिकारी इमानदार नहीं है । इस देश के पत्र संवाददाता ठीक तरह से काम नहीं कर सकते चूंकि भ्रष्टाचार फैला हुआ है । साम्यवादी लोग जमींदारों और किसानों में झगड़े करवाते हैं । संघ लोक सेवा आयोग में और चिकित्सा सेवाओं में भी यही स्थिति है । मेरे अपने राज्य में जो राहत लोगों को दी जानी होती है उसे एक विधान सभा के सदस्य स्थानीय एस०डी० ओ० से मिलकर हड़प कर जाते हैं । जब भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है तो गृह-कार्य मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता । राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन लाने से ही स्थिति में परिवर्तन की आशा की जा सकती है । मेरा सुझाव है कि इस सदन में विधि तथा व्यवस्था की समस्या पर विचार किया जाये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): गृह-कार्य मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र की सीमा काफी विशाल है । सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संकट इस मंत्रालय की सीमा में आ जाते हैं । इस कारण कई एक विकट स्थितियों का सामना इसे करना होता है । इस मंत्रालय का मुख्य काम सामाजिक एव राजनीतिक ढांचे को इस प्रकार से बनाये रखना है कि समुदाय का सामान्य जीवन निर्बाध तरीके से चलता रहे । आज सब से बड़ी समस्या देश में विश्वास एव सुदृढ़ता की भावना लाने की है ताकि हम विदेशी आक्रमण का सामना कर सकें । हमें अपनी स्वतंत्रता एवं अखण्डता को बनाये रखना है । हमें यह भी देखना है कि देश का बहुमुखी विकास बराबर होता रहे । यह बातें तभी हो सकती हैं जब देश मे विधि तथा व्यवस्था हो, सुरक्षा की भावना हो और कुशलता व ईमानदारी हो । इन्हीं उद्देश्यों को सम्मुख रख कर हम सब काम कर रहे हैं ।

अपराधों की संख्या एक समुदाय के सामाजिक स्वास्थ्य की द्योतक होती है । इसका सम्बन्ध शारीरिक रोगों से भी है । परन्तु जब यह संख्या बहुत बढ़ जाती है तो उन को रोकने के लिये कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं । इस देश मे अपराधों की संख्या पहले वर्षो की तुलना में कम हुई है और मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या को हल करने में काफी हद तक सफल होंगे । इसके लिये यह आवश्यक है कि पुलिस कर्मचारियों के जीवन-स्तर को ऊंचा किया जाय और आवास आदि की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध की जायें । इस सिलसिले में हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

[श्री नन्दा]

यह आवश्यक है कि पुलिस कर्मचारियों के प्रति लोगों का रवैया बदला जाय। पुलिस कर्मचारियों को शत्रु नहीं वरन एक सहायक और मित्र समझा जाय। इस सिलसिले में स्वैच्छिक अभिकरण काफी सहयोग दे सकते हैं।

गुंडों की समस्या बहुत भीषण है। यह गुंडे काफी संख्या में पाये जाते हैं और यह गिरोह बना कर काम करते हैं। गुंडे साम्प्रदायिक दंगों में काफी पार्ट अदा करते हैं और साथ ही जो चोरियां और डकैतियां होती हैं उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ होता है। इसलिये इन गुंडों को समाप्त करना होगा। यह एक मानवीय समस्या का रूप धारण कर गयी है और इसे पूर्णतया दूर करने के लिये सामाजिक, नैतिक एवं पुनर्वास के स्तर पर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

साम्प्रदायिक दंगों की हमारे लिये द्विमुखी समस्या है : एक तो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों की समस्या और दूसरे इस देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की समस्या। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशा अत्यन्त खराब है। जो लोग यहां पर आये हैं उन के पास कुछ भी नहीं है, और अनगिनत लोग वहां मारे गये हैं। परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में भी साम्प्रदायिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। जब मैंने अस्पतालों में घायल व्यक्तियों को देखा तो मैं कुछ खा तक नहीं सका। ऐसी घटनाओं को और इनके दुष्परिणामों को देख कर बहुत दुःख और उत्तेजना होती है परन्तु मेरा दृष्टिकोण यह है कि इन से उत्तेजित होने से तनाव बढ़ता है, स्थिति और भी खराब होती है। अतः उत्तेजित नहीं होना चाहिए और अपने मन का सन्तुलन नहीं छोड़ना चाहिए।

एक माननीय सदस्य का यह कहना कि भारत में अल्पसंख्यक सदैव भयभीत रहते हैं पूर्णतः सारहीन और तथ्यहीन है। इस देश में सामान्यतया अल्पसंख्यक शांति एवं सदभाव के वातावरण में रहते हैं। उन को अधिकार और सम्मान प्राप्त हैं। यह कहना भी ग़लत है कि यहां मुसलमान मजबूरी की हालत में रहते हैं। जिस तत्परता से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें स्थिति पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करती हैं उस से इस प्रकार के भ्रम दूर हो जाने चाहिएं। इस बारे मैं दो बातें कहूंगा : एक यह कि भारत में जो कुछ हुआ वह पाकिस्तान में हुई घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ; दूसरी बात इस बारे में हमारी नीति सम्बन्धी है। मैंने कलकत्ता में भी आश्वासन दिया था और अब भी मैं उसी नीति पर दृढ़ हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और दबाने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखी जायगी, और प्रत्येक अल्पसंख्यक इस देश में वैसे ही सुरक्षित है जैसे कि बहुसंख्यक राष्ट्रजन। सरकार ने सब पुलिस अधिकारियों को और दण्डाधीशों को आदेश दे रखे हैं कि विद्रोहियों को, समाज-विरोधी तत्वों को और गुंडागर्दी करने वालों को अविलम्ब और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये। सरकार के पास जितने साधन हैं उसने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिये जुटाये हुए हैं। परन्तु प्रशासनिक कार्यवाहियों के साथ साथ जनता का और सभी दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग उपलब्ध होना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि अपराधियों के मामलों की तुरन्त जांच की जाये और कड़ी सज़ायें दी जायें।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

जमशेदपुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ त्रुटियां थीं, जिन को दूर करने के लिये मैं ने कुछ निर्णय लिये हैं। प्रतिरक्षा निर्माण में लगे इन उपक्रमों में भी ऐसी

घटनाओं को रोकना नितान्त आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ, सरकारी उपक्रमों के लिये एक केन्द्रीय सुरक्षा बल संगठित करने की योजना तैयार की गयी है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित सुरक्षा बल श्रम विधियों और औद्योगिक विवादों की सीमा से परे हों। इसी प्रयोजनार्थ गुप्तचर व्यवस्था में भी सुधार किये जा रहे हैं और स्थानीय संस्थान, पंचायतें आदि भी ऐसा प्रबन्ध करेंगी कि दंगों को आरम्भ होने से पहले ही रोका जा सके। गलत खबरें छापने से भी जनता में उत्तेजना एवं तनाव बढ़ते हैं। इसकी रोकथाम के लिये समाचारपत्रों से कहा गया है कि वह उत्तेजनात्मक खबरें न छापें और तनाव कम करने के लिये, साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने लिये उचित वातावरण पैदा करें। जो समाचारपत्र इस भावना से कार्य नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

जो लोग दंगों के परिणामस्वरूप अपने घरों को छोड़ आये हैं उन को अपने अपने घरों में लौटाने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। मैं ने देखा है कि कलकत्ता में बहुत से लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। उन लोगों को उचित सहायता भी दी जा रही है। जो लोग इस स्थिति से लाभ उठा कर देश के अहित की बात करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है

जमशेदपुर में जब मैं ने श्रमिकों को बताया कि उन के काम बन्द करने से देश को हानि होती है, दंगों के कारण जो लोग बेघर हो जाते हैं उन का पुनर्वास करना होता है जिस से देश, को हानि होती है, जब वह संचार व्यवस्था को नष्ट करते हैं तो भी देश को हानि होती है तो मेरी बात उनकी समझ में आ गई, और परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार हमने देखा है कि श्रमिक बुरे नहीं हैं। समस्या केवल उन को उचित प्रकार से समझाने की है बदले की भावना से स्थिति बिगड़ती है सुधरती नहीं है।

भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में यह कहना गलत है कि वह बातचीत असफल रही चंकि इस बारे में दोनों पक्ष सहमत हुए हैं कि शांति स्थापित की जाय और अल्पसंख्यंकों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा की जाय। हम अपने देश में इस प्रयोजनार्थ कदम उठा रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा भी ऐसे कदम उठाये जाने चाहियें। मैं ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को स्पष्ट किया था कि भारत में जो घटनायें हुईं वह पाकिस्तान में हुई घटनाओं की प्रतिक्रियास्वरूप ही हुईं, इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं को तुरन्त रोका जाय, और वह मेरे साथ सहमत हुए थे। जनता में विश्वास तथा सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये यह प्रस्ताव किया गया कि प्रव्रजकों को रोका जाय, और वह इस पर भी सहमत हुए। फिर अपहृत स्त्रियों को बचाने और पुनः प्राप्त करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने का सुझाव दिया गया जिस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।

मैंने उन्हें यह भी बताया कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिये जो लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें तुरन्त पुनः बसाया जाय, उन्हें उन की सम्पत्तियां लौटा दी जायें और उन्हें साधारण तौर पर काम करने दिया जाय, जिस पर वह सहमत हुए।

एक प्रश्न तो यह था कि उपर्यक्त निर्णयों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिये कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरे, जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं

[श्री नन्दा]

उनके लिये आने जाने के लिये उचित प्रबन्ध किया जाय । मैं ने यह सुझाव दिया कि एक संयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाय और प्रत्येक देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में जा कर देखें कि वहां पर स्थिति क्या है और फिर वह वापस आ कर अपने देश के लोगों को समुचित विश्वास दिलायें, जिस के सिद्धान्त पर वह सहमत हो गये, परन्तु इस बारे में ब्योरेवार बात बाद में की जायगी ।

मैं ने उन्हें कहा कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन के लिये, सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिएं । उन को उन की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और जो लोग योंही अपनी सम्पत्ति आदि छोड़ कर चले आये हैं उन्हें उचित प्रतिकर मिलना चाहिए या अपनी सम्पत्ति का किराया मिलना चाहिए । इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका चूंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री आवश्यक काम से वापस लौटना चाहते थे । अगली बैठक में इस बारे में विचार किया जायगा ।

इसके साथ साथ त्रिपुरा और आसाम से पाकिस्तानी घुसपैठ करने वालों की समस्या पर विचार हुआ । पाकिस्तान समझता है कि जिन लोगों को हम यहां से जाने के लिये नोटिस दे रहे हैं उन में से ९५ प्रतिशत मुसलमान भारतीय राष्ट्रजन हैं परन्तु हम समझते है और हमारे पास पूरे सबूत भी हैं कि वह भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं । श्री हबीबुल्ला ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि वह नहीं चाहते कि एक भी पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत में रहे । मैं ने उन से कहा कि मैं हर तरह से उन को यकीन दिलाने के लिये और साबित करने के लिये भी तैयार हूं कि एक भी भारतीय राष्ट्रजन को देश से निकलने के लिये नोटिस नहीं दिया गया । चंकि उन के पास समय नहीं था इसलिये मैं ने उन्हें बताया कि मैं उन्हें इस विषय में ब्योरेवार जानकारी दूंगा और वह उस को देखें । जो हम ने यह प्रस्ताव किया था कि हम दो मास तक अवैध प्रवेश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के लिये तैयार हैं, उसका अर्थ केवल यही था कि दो मास तक देश से निकलने के लिये उन घुसपैठ करने वालों को नोटिस नहीं दिये जायेंगे ।

राष्ट्रिकता एवं नागरिकता के लिये कुछ विशेष कसौटियां हैं जिन के आधार पर प्रत्येक पाकिस्तानी को जो अवैध तौर पर प्रवेश कर चुका है वापस जाने के लिये कहा जायगा । परन्तु यह भी स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रजन को देश छोड़ने पर बाध्य नहीं किया जायेगा । अवैध प्रवेश करने वालों को देश से निकालने के लिये जिन कार्य वाहियों की मैं ने घोषणा की है उन को कार्यान्वित किया जा रहा है । उदाहरणार्थ, सीमाओं पर आध मील के करीब स्थान खाली छोड़ा जा रहा है । सीमा सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है । उस खाली क्षेत्र के साथ साथ संचार सुविधायें अधिक होंगी, सड़क होंगी और आने जाने वालों के लिये अन्य सुविधायें भी होंगी । जहां कहीं आवश्यक समझा गया, लोहे की तारों की बाड़ लगायी जायगी । इन उपायों के अतिरिक्त अपने राज्य-क्षेत्र के अन्दर कुछ अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं । जिन क्षेत्रों में घुसपैठ होता है उन में पुलिस की चौकियां स्थापित की जायेंगी और गुप्तचर चौकियां भी स्थापित की जायेंगी । घुसपैठ करने वालों की अंगुलियों के निशान भी लिये जायेंगे ताकि वह पुनः घुसने न पायें । जो शरणार्थी गारो पहाड़ियों से आये हैं, यदि वह सक्षम हुए तो उन्हें इस काम के लिये भर्ती किया जायगा ।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगे कराने वाले तत्वों का प्रश्न है ऐसे तत्व सभी समुदायों में पाये जाते हैं और हम ऐसे तत्वों के प्रति कड़ा से कड़ा दृष्टिकोण रखेंगे। कुछ लोग शस्त्रास्त्र आदि इसलिये रखते हैं कि उन्हें दूसरों से अपना बचाव करना होता है। हम ने बताया है कि सभी की रक्षा के लिये सरकार मौजूद है और किसी को अधिकार नहीं है कि वह अपने बचाव के लिये स्वयं शस्त्रास्त्र रखे।

मैं माननीय सदस्यों को एक सुखद तथ्य से अवगत कराऊंगा। राउरकेला तथा अन्य स्थानों में स्वयं मुसलमानों द्वारा मुझे बताया गया कि वहां के हिन्दुओं ने उनकी काफी सहायता की और उनकी जान बचाई। उन्होंने यह भी बताया कि साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिये कुछ विशेष लोग जिम्मेदार हैं।

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा कि आपात काल का अन्त होना चाहिए, परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं। साम्प्रदायिक दंगों के अतिरिक्त, जासूसी एवं ध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकना भी वांछनीय है।

मैं श्री दाजी के इस कथन से सहमत हूं कि हमारे सामने एक महान राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए जिस को प्राप्त करने के लिये जनता प्रयास करे। उद्देश्य इतना महान होना चाहिये कि हमारे प्रादेशिक एवं सीमित विचारों के लिये कोई स्थान न रहे। एक दो गांवों के एक राज्य से दूसरे राज्य के अधीन हो जाने से लोगों के दिल उत्तेजित न हो जायें। उस उद्देश्य से देश में एकता की भावना बढ़े। ऐसा तभी हो सकता है जब कि सामाजिक न्याय हो। यही हमारे लोकतंत्रात्मक समाजवाद का कार्यक्रम है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये हमें अभी काफी कुछ करना है। अस्पृश्यता निवारण, शिक्षा, तथा आर्थिक जीवन में सुधार लाने हैं।

भाषा के सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट है। हिन्दी का विकास हमें करना है और यही हमारी राष्ट्रीय भाषा है परन्तु अहिन्दी भाषा भाषियों को हानि पहुंचा कर यह काम नहीं करना है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिये नियत राशि बढ़ा दी गयी है। हिन्दी को परीक्षाओं का माध्यम इस तरह बनाया जायगा कि किसी को आपत्ति या हानि न हो।

काश्मीर की समस्या की चर्चा करते समय मैं किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये भाषणों का वर्णन नहीं करूंगा चूंकि किसी के कुछ कहने से हमारी नीति में परिवर्तन नहीं हो सकता। जम्मू तथा काश्मीर का भारत से विलय एक एतिहासिक तथ्य है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। यह विलय पूर्ण अन्तिम और अपरिवर्तनीय है। कश्मीर भारत का वैसे ही एक अंग है जैसे कोई भी अन्य राज्य। संविधान में जो विशेष उपबन्ध है कश्मीर के बारे में वह एक अस्थायी प्रकार का उपबन्ध है जिसे स्वयं हम ने रखा था।

देश की प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिये कई आयोग और समितियां स्थापित की गयी हैं। मैं मानता हूं कि प्रशासन व्यवस्था में काफी सुधार नहीं हो सका। हम ने इस से सम्बद्ध

[श्री नन्दा]

विभिन्न समस्याओं पर विचार किया है और कुछ निर्णय भी लिये हैं। एक प्रशासन सुधार विभाग स्थापित किया गया है। इसके तीन भाग हैं एक का सम्बन्ध वित्तीय मामलों से, दूसरे का जनता की शिकायत दूर करने से और तीसरे का संगठन आदि से है। कार्य में विलम्ब होना भ्रष्टाचार का अंग है अतः इसे दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मैं ने दो वर्ष की अवधि निर्धारित की थी। मैं सक्रिय रूप से इस बुराई को मिटाने के लिये प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि सभी दलों के प्रतिनिधि इस काम में मुझे सहयोग देंगे। यदि इस नियत अवधि के अन्दर अन्दर मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मामले में विरोधी पक्षों को सन्तुष्ट कर सका तो मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। इस बारे में निर्णय आप लेंगे कि मैं भ्रष्टाचार दूर कर सका हूं कि नहीं। इस सिलसिले में मेरा जनता के सहयोग की बात कहना गम्भीर बात है। मैं ने सभी राजनीतिक दलों से संयुक्त सदाचार समिति के बारे में बातचीत की थी। लोग शिकायतें करते हैं कई बार उन पर कार्यवाही की जाती है परन्तु समस्या का समाधान इसके बावजूद भी नहीं हो पाता। यदि एक ऐसा संगठन होगा जो लोगों की शिकायतों को रिकार्ड करे तो स्थिति में काफी अन्तर होगा। जिस व्यक्ति को कोई शिकायत होगी वह उसे संगठन से कह सकेगा और वह सगठन उस के बारे में उचित छानबीन करेगा। फिर वह शिकायत सरकार के पास जायेगी। संगठन एवं सरकार के उत्तरदायी व्यक्ति परस्पर सम्पर्क द्वारा यह देखगे कि शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाये और उस का उचित उत्तर दिया जाय। यह संगठन और सरकार मिल कर इस समस्या को हल करेंगे। भ्रष्टाचार दूर हुआ है कि नहीं इसकी कसौटी यह होगी कि कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उचित कार्यवाही की गयी। मेरा विश्वास है कि अन्य उपायों के साथ-साथ यह उपाय और करने से समस्या हल हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से सभा के मतदान के लिये रखा जाय ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कटौती प्रस्ताव संख्या ४३ अलग से रखी जाय।

अध्यक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ४३ मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में २१, विपक्ष में ८२।

The Lok Sabha divided

Ayes 21; Noes 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४५	गृह-कार्य मंत्रालय	४,१५,६१,०००
४६	मंत्रिमंडल	४२,०१,०००
४७	क्षेत्रीय परिषद	१,१६,०००
४८	न्याय प्रशासन	२,९१,०००
४९	पुलिस	१३,४१,८५,०००
५०	जनगणना	१,२५,१५,०००
५१	आंकड़े	२,१०,८८,०००
५२	भारतीय राजाओं को निजी थैलियां व भत्ते	८६,०००
५३	दिल्ली	१९,६५,८७,०००
५४	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	२,९९,१८,०००
५५	लक्कद्वीप, मिनिकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह	४३,५८,०००
५६	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,५२,४३,०००
१२८	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	६९,३८,०००

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, १६ अप्रैल, १९६४ / चैत्र २७, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till, Eleven of the clock on Thursday, the 16th April, 1964 Chaitra 27, 1886 (Saka).

GMGIPND--LS III—621 (Ai) LS -3-7-64—600